

हरियाणा सरकार

चकवन्दी विभाग

घटिसूचना

दिनांक 24 मई, 1998

संखा सा. का. नि. 63/संवि./मनु. 309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, भद्रत को गई लक्षितयों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली घटी अन्य लक्षितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा चकवन्दी विभाग (पुप व) सेवा नियम, 1989, को आगे संलोकित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रधान :—

1. ये नियम हरियाणा चकवन्दी विभाग (पुप व) सेवा ——————(संलोकन) नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा चकवन्दी विभाग (पुप व) सेवा नियम, 1989 (जिन्हे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, प्रधान :—

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) चकवन्दी घटिकारी की दशा में,—

(i) 80 प्रतिशत चकवन्दी विभाग में कार्यरत सहायक चकवन्दी अधि-
कारियों में से पदोन्नति द्वारा ; और ||

(ii) 20 प्रतिशत राजस्व विभाग में कार्यरत नायब तहसीलदारों में से
पदोन्नति द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे
किसी घटिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) घटीकार की दशा में,—

(i) उप घटीकार अवधारणा सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी
कर्मचारी/घटिकारी के स्थानान्तरण अवधारणा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

परन्तु स्थानान्तरण अवधारणा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के बल तभी की जाएगी जब
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट के में, कम संभवा 1 तथा उसके सामने की प्रविधियों के बाद, निम्नलिखित कम संभवा तथा उसके सामने प्रविधियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
" 2	प्रधीकरक	—	1	1	2,000-60-2,300-३० रुपौ -75- 3,200-100-3,500 रुपये । "

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट के में, कम संभवा 1 और उसके सामने की प्रविधियों के बाद, निम्नलिखित कम संभवा तथा उसके सामने प्रविधियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
" 2	प्रधीकरक	—	उप प्रधीकरक के रूप में एक वर्ष का घनुभव, या सहायक के रूप में दस वर्ष का घनुभव । "

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट के में, कम संभवा 1 तथा उसके सामने की प्रविधियों के बाद निम्नलिखित कम संभवा तथा उसके सामने प्रविधियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1.	2.
" 2	प्रधीकरक । " ।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट के में, कम संभवा 1 तथा उसके सामने प्रविधियों के बाद, निम्नलिखित कम संभवा तथा उसके सामने प्रविधियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1.	2.
" 2	प्रधीकरक । " ।

कौ० जौ० बर्मा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
चक्रबन्दी विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 1998

No. GSR 63/Const. Art.309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Consolidation of Holdings Department (Group-B) Service Rules, 1989, Namely:—

1. These rules may be called the Haryana Consolidation of Holdings Department (Group-B) Service (Amendment) Rules, 1998.

2. In the Haryana Consolidation of Holdings Department (Group-B) Service Rules, 1989 (hereinafter called the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub rule shall be substituted, Namely:—

"(1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Consolidation Officer,—

(i) 80% by promotion from amongst Assistant Consolidation Officer working in the Consolidation Department; and

(ii) 20% by promotion from amongst Naib-Tehsildars, working in the Revenue Department; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Superintendent.—

(i) by promotion from amongst the Deputy, Superintendent or Assistants; or

(ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that appointment by transfer or deputation shall be made only when no such person is available for appointment by promotion.

3. In the said rules, in Appendix A, after serial number 1 and entries there-against, the following serial number and entries there-against shall be added, namely:—

1	2	3	4	5	6
"2.	Superintendent	..	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—EB —75—3,200—100—3,500".

4. In the said rules, in Appendix B, after serial number 1 and entries there against, the following serial number and entries there-against shall be added, namely:—

1	2	3	4
---	---	---	---

"2. Superintendent .. One year's experience as Deputy Superintendent
or
Ten year's experience as Assistant."

5. In the said rules, in Appendix C, after serial number 1 and entries there against, the following serial number and entry there-against shall be added, namely:—

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

"(2) Superintendent

6. In the said rules, in Appendix D, after serial number 1 and entries there against, the following serial number and entry there against shall be added, namely:—

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

"2. Superintendent

K. G. VARMA,

Secretary to Government Haryana,
Consolidation Department.

Acc

हरियाणा सरकार

चक्रवर्ती विभाग

शाहिसूचना

दिनांक 21 जून, 1991

सं. सं. कं. नि. 40/संवि./द्यन्. 309/91.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई व्यक्तियों तथा इस नियम उन्हें लगाए बनाने वाली अन्य सभी व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा हरियाणा राज्य चक्रवर्ती सेवाएं (पृष्ठ "ग") में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विविधिगत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :—

भाग—I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राज्य चक्रवर्ती सेवाएं (पृष्ठ ग) नियम, संखित नाम। 1991 कर्ते जा सकते हैं।
2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा घोषित न हो :— परिभाषाएं।
 - (क) "वोड़े" वोड़े से अभिप्राय है, आधीनस्थ सेवाएं प्रबंधन मण्डल हरियाणा,
 - (ब) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से जाने किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (ग) "निवासक" से अभिप्राय है, निवासक, चक्रवर्ती विभाग, हरियाणा,
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;
 - (इ) "संस्था" से अभिप्राय है :—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था अथवा
 - (ii) सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोगन के लिए मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय" से अभिप्राय है:—

- (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विष्वविद्यालय;
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पद (टिप्पोमा) या प्रमाण पत्र की दस्ता में, पंजाब सिंघ या डाका विष्वविद्यालय; या
 - (iii) कोई अन्य विष्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोगन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय घोषित किया गया है;
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य चक्रवाची सेवा (ग्रुप "ग")

भाग-II सेवा में भर्ती

पर्वों की संख्या
तथा स्वरूप।

सेवा में भर्ती
किए गए
उच्चोदारों की
राज्यीकाता
अधिकार तथा
चरित्र।

3. सेवा में नियमों के परिणाम "की" में बताए गए पद होंगे।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पर्वों की संख्या में बढ़िया विविध परिणामों और बेतनमालों बाले नये पद स्थायी अवधि पर्यायी रूप से बनाने के सरकार के घन्तानिहित अधिकार पर प्रभाव नहीं ढालेंगी।

4. (1) कोई भी अवित्त सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न ही:—

- (क) भारत का नामिक; या
- (ख) नपाल की प्रजा; या
- (ग) भूदान की प्रजा; या

(घ) तिवड़ा का गरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आवश्य से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का स्थानित, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एवा कीनिया, ब्रूगांडा, तजानिया के संयुक्त देशराज्य (इत्युर्व टांगानीका और जंजीबार) जानिया, मलायी, जापरे और इंडोनिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आवश्य से आया हो;

परन्तु प्रकारे (ब), (ग), (घ) या (इ) से संबंधित व्यक्ति द्वारा व्यक्ति होना जिसके पद में सरकार द्वारा पालता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पालता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, वो उसके अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परोक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है जिसके नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पालता प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान वैकाशिक प्राधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो पैसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किस उसके व्यवितरण जीवन में उससे भली—भान्ति परिचित ही और जो उसके विश्वविद्यालय महाविद्यालय; विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

(5) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड अधिकारी किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की घनितम तिथि से ठीक पहले अनस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले या उस वर्ष की शायु से बम या वैसीस वर्ष की शायु से अधिक का हो।

आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ नियेष्टक द्वारा की जायेगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिषिष्ट से के साना संक्षया 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में, तुर्केति परिषिष्ट के साना संक्षया 4 में उल्लिखित अहंताएं तथा अनुभव न रखता हो।

नियमित
प्राधिकारी।
अहंताएँ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहंताओं में योर्ड अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 60 प्रतिज्ञत सीमा तक हील दी जायेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े बगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में व्यक्ति अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए तिथित रूप में वारण हिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति: —

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वा उसके व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

नियुक्ति।

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीप विधि के प्रधीन एंसा विवाह अनुमति है तथा एंसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का दंग।

9. (1) सेवा में सहायक चकवन्दी प्रधिकारी के पदों पर नियुक्तियाँ निम्नलिखित दंग से की जायेगी:—

(क) चकवन्दी कानूनयोगी, पंजी कानूनयोगी तथा निरीक्षक में से एकोन्त द्वारा; या

(ख) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिवृत्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्ततियाँ जब तक अन्यथाउच्चतम्बन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं शोभता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्ततियों के लिए कोई प्रधिकार नहीं देयी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो दर्जे की अवधि के लिए, और यदि इन्द्रिय नियुक्त किया गया हो तो एक दर्जे की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:—

परन्तु:—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुशृण्य या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समक्ष अधिकारी उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनते वी जा सकती है; और

(ग) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के कार्य में गिनी जायेगी फिन्टु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानान्तरण हृष में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थानी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पूर्ण छिपे जाने का हक्कार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्त प्राधिकारी की राय में परीबोधा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(अ) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती हारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी लेवामो से अलग कर सकता है; और

(ब) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसके पूर्व पद पर प्रतिबर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में इसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन और वहें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परीबोधा अवधि समाप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य तथा आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की तिथि से पृष्ठ कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पृष्ठ कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीबोधा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि सीधी भर्ती हारा नियुक्त किया गया हो तो उसे लेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उस के पूर्व पद पर प्रतिबर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी अन्य ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा उसे अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परीबोधा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीबोधा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता या :

परन्तु वरिष्ठीका की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, जापिल है, तीन संवर्ग से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों को परम्परा ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लक्षातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड या किसी अन्य अन्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित कम परिवर्तित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्ननिश्चित रूप में निश्चित की जायेगी,--

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिन से वे पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता बेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी। अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतम दर पर बेतन ले रहा या और यदि मिलने वाले की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके नेवाकाल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो तो आपूर्य में वहा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व ।

12(i) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्त प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आवेदन दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्ननिश्चित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--

- (i) कोई कम्पनी ग्रंथालय या व्यापिट निकाय, जाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका भूलं अथवा अधिकार स्थापित या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भोतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विस्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगठन या व्यष्टि निकाय नाहे वह निमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या प्रधिकार स्वामित्र या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास है; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्र निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार प्रबन्ध गैर सरकारी निकाय के पास न हो परन्तु सेवा के किसी नी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जावेगा।

13. बेतन, छट्टी, पैज़ान तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विधियों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सधम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये नये हों, प्रबन्ध इसके बाद प्रयोगे या बनाये जाये ?

14. (1) अनुआसन, शास्त्रियों तथा अधीनों ते सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-पर यथा संजोचित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अधीन) नियम,

1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्त्रियों लगाने के लिए सरकार प्राधिकारी तथा अधीन प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिणिष्ठ "ब" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अधीन) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (३) या खण्ड (४) के अधीन प्रादेश करने के लिए सरकार प्राधिकारी तथा अधीन प्राधिकारी भी नहीं होंगा जो इन नियमों के परिणिष्ठ "ब" में बताया गया हो।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब नी सरकार किसी विशेष या नागरिकानशादेश द्वारा टीका लगवाना। ऐसा निर्देश करे, टीका लगवावेगा तथा पुनः टीका लगवावेगा।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्वायित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शर्त

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्त प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति विलेप उपबन्ध आदेश में विलेप नियन्त्रण लघा जर्ते लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

19. इन विधयों में वी शई कोई बात राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-आरक्षण तथा एवं जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुशृण्खित जालियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व दैनिकों, अथवा विकास व्यक्तियों प्रधान व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जान वाले अपेक्षित आठकानों तथा इन्ह रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी :

परन्तु, इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पछास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. पंजाब चक्रवर्ती राज्य-गेया वर्ष III (कार्यकारी रोका) नियम, 1962, इसके निरसन तथा व्यावृत्ति ।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के प्रधान किया गया कोई आदेश या की शई कोई कारंबाई इन नियमों के आनुसार उपबन्धों के प्रधान किया गया आदेश प्रधान की गई कारंबाही गम्भीर जायेगी ।

परिविक्रम

[विवर नियम 3]

क्रम संख्या	पदार्थ	परों की संख्या			वेतनमात्रा
		स्थाई	पर्याप्ति	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक चक्रवर्ती प्रतिक्रांती	9	16	25	1,400—40—1,600—50—2,300— द० रु०—60 रु० 100—विशेष वेतन नोट : — विशेष वेतन वेतनमात्र का भाग नहीं होता।

प्रारंभिक अ

[वंशिक नियम 7]

क्रम संख्या	पद का नाम	सीझी भर्ती के लिए हीलाइक महत्वात् लगा पड़ना, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से भव्यता नियुक्ति के लिए हीलाइक महत्वात् लगा पड़ना, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सहायक उपचारी प्रधिकारी	—	प्रधिकारीता द्वारा
			(i) मानवतावाल विश्वविद्यालय भवन कोड से मैट्रिक या समकक्ष । (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (iii) चक्रवर्ती भास्तुओं/चक्रवर्ती नियोक्त/पेंजी कानूनों के क्षमा में पाप वर्ण का ज्ञान ।

परिचय य

[दिनांक निवारा 14(1)]

क्रम संख्या	पदलाभ	नियुक्ति शाखाकारी	आवास का स्थान	गालित लावाने के निए समाज प्राधिकारी	चर्चण शाखाकारी	दिनीय तथा भालिम शाखाकारी, वही कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक चकवानी शाखाकारी	निवेदक	(i) लघु लाइसेंसों—	(i) बैगमिल फार्म (पावरफ डी.) पर अति रक्ते हुए लेताहारी; (ii) परिनन्दा; (iii) पांचालि रोकना; (iv) उपरोक्त या लांबों के उत्तेजन हारा केन्द्रीय चक्कार का राष्ट्र सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संघर तथा चाहिए निकाय, जाहे वह नियन्त	निवेदक उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त	सरकार सरकार उपरोक्त उपरोक्त

1 अनुप्रय प्रभावों प्रतिकारी	2	3	4	5	6	7
				नियोगक	वित्ताधार राजस्व	सरकार
हो या नहीं, नियोगका दूर्वा या भावितावाल स्थानिक या नियोगक सरकार के पास हो या संसद या राज्य विधान सभाओं के भावितावाल द्वारा इधापिता किसी स्थानीय भावितावाल या विधाविधान सभा को होई बन सकती पूरी हालि की या उसके भाग की बोलन से बनती;						
(V)	बोल शुद्धियों रेखाना;					
(2) बड़ी लास्तियों						
(VI)	किसी विनियोग प्रबंधि के लिए समरपान में नियोगक सरकार द्वारा प्रबंधि द्वारा भावितावाल नियोगक सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी एकी प्रबंधि की प्रबंधि के द्वारा बोलन शुद्धियों द्वारा करेगा या नहीं ज्ञोर क्या ऐसी प्रबंधि की समाजिक पर एकी					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	चित्ताभ्युपदी प्रबलता	चित्ताभ्युपदी प्रबलता	सम्मान		
1	सहायक चक्रवर्ती कांडिकारी	सम्मान							

स्वतंत्रता करने का प्रभाव रखेगी या
नहीं,

(vii) निम्नलिखित बोलचाल, ऐड, पद
गा सेवा पर ऐझी अवलम्बि औ
सरकारी कांडिकारी के उस सम्बन्ध
बोलचाल, ऐड, पद या सेवा पर,
निम्नसे बहु अवलम्बि किया जाए
गा, पदोन्नति के लिए सामाजिकः
ऐड होनी, ऐसा जिस ऐड
अधिकारा पद अधिकारा सेवा से
सरकारी कांडिकारी अवलम्बि किया
जाए गा उस पर बहुली सम्बन्धी
और उसकी लेपेण्ठता तथा उस
ऐड, पद या सेवा पर बोलचाल के
बारे में जाती सम्बन्धी भवित्वित
निदेशों के साथ या उनके बिना
होना;

1	2	3	4	5	6.	7
सहायक अधिकारी	निवेदक	निवेदक	(viii) सर्विकार्य सेवा निवृत्ति;	निवेदक	चिलायकल दाखल	सरकार
मधिकारी			(ix) सेवा से हटाया जाना और सरकार के प्रतीत भावी नियोजन के लिए निरहुआ नहीं होगी ;			
			(x) सेवा से वर्षयन्ति और सरकार के प्रतीत भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहुआ होगी ।			

(11)

संख्या	पदनाम	आदेश का त्वचा	आदेश करने के लिए समाज प्रधिकारी	परीक्षा प्रधिकारी, यारि कोर्ट हो	
				1	2
सहायक बहुकारी प्रधिकारी	(i) देश को नियंत्रित करते वाले निवासों के पश्चीन धन्यवाच समाज या इतिहास के लिए राजा वं की करता था राजना; और	निवेशक	वित्ताध्यक्ष राजराज	सरकार	
	(ii) उसकी धन्यवाचिता के लिए निकल पाप के होने से यान्पका विषय की लापित	निवेशक	वित्ताध्यक्ष राजराज		वी. पृष्ठ. शोभा, सर्विचय, हाँगणा सरकार, बकायदी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
 CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 21st June, 1991

No. G.S.R. 40/Const./Art. 309/91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department (Group C) service namely:—

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department (Group C) Service Rules, 1991.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an Officer already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "institution" means:—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "recognised university" means:—
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate contained as a result of an examination held before the 15th day of August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules; and

(g) "Service" means the Haryana Consolidation Department (Group C) service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, and Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, collage, school or institution.

Number and
Character of
posts.

Nationality,
domicile and
character of
candidates
appointed to
the Service.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age, on or before the 1st day of August next proceeding the last date of submission of application to the Board or any other recruiting authority.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person other than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the direction of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes-backward classes ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience are not available to fill in the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the post of Assistant Consolidation Officer shall be made,—

- (a) by promotion from amongst Consolidation Kanungos, Peshi Kanungos and Inspectors ; or,
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion been not satisfactory,
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation;

Provided that the total period of probation ; including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority,

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that when there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined respectively for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by district recruitment, the order of merit determined by the Board or any other recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined, according to pay, preference being given to a member who was drawing higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their services in the appointments, and if the length of their service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) and (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India, or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay leave pension and other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time;

Discipline penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) or clause (d) or sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to Constitution of India, as by law established.

Oath of allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Special provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-serviceman, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Reservations.

Provided that the percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and
Savings.

20. The Punjab Consolidation of Holdings State Service Class III (Executive Service) Rules, 1962, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Consolidation Officer	9	16	25	Rs. 1,400—40—1,600—50—2,600— EB—60—2,600+100 as special pay

Note :—Special Pay shall not form part of the pay scales.

APPENDIX B

[See Rule 7]

Serial No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment		Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
		1	2	3
1	Assistant Consolidation Officer	—	—	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. (iii) Five years experience as Consolidation Kanungo, Peshi Kanungo or Inspector.

APPENDIX C

[See Rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant Consolidation Officer	Director	Minor Penalties	(i) warning with a copy in the personal file(character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promis- tion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by	Director	Financial Commissioner, Revenue	Government

1	2	3	4	5	6	7

Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower scale of pay grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, Post or service;

Director
Financial Commissioner,
Revenue

1	2	3	4	5	6	7

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

Director Financial Commissioner, Government Revenue

APPENDIX D
 [See Rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Consolidation Officer	<ul style="list-style-type: none"> (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation 	<ul style="list-style-type: none"> Director Financial Commissioner, Revenue 	Government	

B. S. OJHA,

Secretary to Government, Haryana,
 Consolidation Department,

KY

हरियाणा सरकार

चकवन्दी विभाग

प्रधिमूलना

दिनांक 30 अगस्त, 1991

सं. सा. का. नि. 59/सं.वि. पर्नु. 309/91.—भारत के संविधान के पन्नुच्छेद 309 के परन्तुक हारा प्रदान की गई लक्षितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यालय इसके हारा हरियाणा चकवन्दी विभाग कानूनयों (दृष्टि "व") सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा-शर्तों को विनियमित करने वाले नियन्त्रित नियम बनाते हैं, प्रत्यक्षतः—

लाग ।—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा चकवन्दी कानूनयों (दृष्टि व) सेवा नियम, 1991, संलिप्त नाम।
 कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अर्थित न हो—

(क) “बोर्ड” से अभिप्राय है, अधीनस्व सेवाये प्रबन्धन बोर्ड हरियाणा;

(ख) “नियंत्रक” से अभिप्राय है, नियंत्रक चकवन्दी हरियाणा;

(ग) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) “संस्था” से अभिप्राय है:—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि हारा स्वापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोगनार्थे गरकार हारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(उ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिप्राय है:—

(i) भारत में विधि हारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधिएत (डिप्लोमा) वा प्रमाण पत्र की दला में पंजाब, सिन्धु या हारा विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोगन के लिए गरकार हारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

- (च) "सेवा" ने अभिप्राय है, हरियाणा चक्रवर्ती विभाग कानूनों
(पुग ग) सेवा।

भाग-II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
और स्वरूप

सेवा में नियुक्त
किये गये उच्चाधि-
बारों की राष्ट्रीयता
अधिकारी तथा
चरित।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट (क) में बताए गये पद होंगे:

परन्तु, इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में बढ़िया या कमी करने पर, विभिन्न पदनामों और वेतनमानों बाने नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारी पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

4. (1) कोई भी अधिकृत सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह विमलतिवित न हो:—

- (क) भारत का नामिक; या
(म) नेपाल की प्रजा; या
(ग) अंग्रेज की प्रजा; या

- (घ) तिब्बत का लारण्डां, जो पहली जनवरी, 1962, से वहाँ भारत में स्थायी रूप से बसने के प्राप्तय से आया हो; या

- (छ) भारतीय मूल का अधिकृत जो गाहिस्तान, बर्मा, थीलंका तथा कीनिया, ग्लोडा तथा तंबानिया के संयुक्त गणराज्य, भूतपूर्व दंगानिका और जंजीबार, (जाओंडिया, मलावी, जायरे और इथोपिया) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो कर भारत में स्थायी रूप से बसने के प्राप्तय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (घ), (ग), (घ) वा (छ) से सम्बन्धित किसी संवर्ग का अधिकृत ऐसा अविकृत होना जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पाकिस्तान का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी अधिकृत जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, जो किये जान्ये भर्ती प्राप्तिकरण द्वारा संचालित परेक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रयिष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी अधिकृत सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अधिनष्ट उपस्थिति के विवरियालय, महानियालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान अंक्षणिक अधिकारी ने चरित प्रमाण-पत्र और दो ऐसे विमेदार अधिकारी से जो उसके सम्बन्धी न हो किन्तु उसके

व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हों और जो उसके विविधालय, भूत्तिकालय या तथा से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जावेगा जो बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने को अनिम तिथि से ठीक पहले अस्त के प्रबन्ध दिन को या उससे पहले सबह बर्ष की आयु से कम या ऐसीस बर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ निरेक द्वारा की जाएँगी।

नियुक्ति
प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिविष्ट वा के बाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा भर्ती की दशा में पूर्णीकृत परिविष्ट के बाना 4 में उल्लिखित अहंताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अहंताएं ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहंताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी, यदि अनुसूचित वातियाँ, पिलड़े, वर्षों, भूतपूर्व सैनिकों तथा जारीरिक रूप से विवाहित उम्मीदवारों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जावेंगे।

निरहंताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति-पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति-पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे गज तक लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित दंग से की जाएँगी;—

भर्ती का
दंग।

(क) चक्रवर्ती कानूनों की दशा में,—

(i) चक्रवर्ती पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण ; या
प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ब) पेशी कानूनगों की दशा में,—

(i) चक्रवर्ती पटवारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण ; या
प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) यदि एदोन्नतिवाँ जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, अधिकार एवं
योग्यता के प्राप्ति पर की जावेंगी और केवल उपबन्धित ऐसी
पदोन्नतिवाँ के लिए कोई अधिकार नहीं देगी।

विभागीय परीक्षा।

10. सेवा में नियुक्त किए गये कानूनगों को नियुक्ति से दो वर्ष के अन्दर¹
इन नियमों के प्रतिशिष्ट उम्मेद पाठ्यक्रम तथा अन्य गतों के घनुसार निर्देशक
भूमिका नेतृत्व द्वारा आधोचित की गई कानूनगों की परीक्षा पास करनी होगी। जो उम्मीदवार
नियुक्ति अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं करता उसे उसी पर प्रतिबन्धित
कर दिया जाएगा जिस पर वह पहले कार्यस्थल था, किन्तु उसे परीक्षा पास
करने के लिए सरकार के अनुमोदन पर दो अवसर और प्रदान कर दिए
जाएंगे।

परिवीक्षा।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त अवधि, यदि वह सीधी
भूमिका द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि
अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर
रहेगा :

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुशृण या उच्चतर पद पर²
प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की
अवधि में जिनी जाएगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी
पद पर नियुक्ति से पहले किसी सम्बद्ध प्रथा उच्चतर पद
पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राप्तिकारी के
विवेक पर इस नियम के अधीन लियत परिवीक्षा अवधि की
ओर विलग दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानांतरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की
गई अवधि के रूप में जिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति

जिसने ऐसे स्थानापन रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विरहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ब) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व एवं पर प्रतिबंधित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में इसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के नियन्त्रणों और जल्दी के अनुशासन करें।

(3) यही व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी;—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग में पूरी कर ली है; या

(ब) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है यदि अन्यथा नियुक्त

किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके बाम्बन्व में किसी देशी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के नियन्त्रण तथा गाँ अनुदात करें; या

- (ii) उसको परिवीक्षा अवधि वडा सकता है और उसके बाद ऐसे आवेदन कर सकता है जो वह परिवीक्षा की त्रिक्ल अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कूल अवधि, जिसमें बड़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो आमिल है, तीन सवं से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके नगतीर सेवा काल के अनुसार नियिकत की जाएगी:—

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संबंध हों वहाँ उपेष्ठता अलेक संबंध के लिए अलग अलग रूप से नियिकत की जाएगी:

परन्तु यह भी रखा कि तीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उपेष्ठता विषय करते समय बोर्ड द्वारा नियिकत दोषपता कम परिवर्तित नहीं किया जाएगा;

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनको ज्येष्ठता नियमित रूप से नियिकत की जाएगी:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति वा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार नियिकत की जाएगी, जिनसे वह पदोन्नति वा स्थानान्तरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संबंध से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता बेतन के अनुसार नियिकत की जाएगी, अधिभाव ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी वहले वी नियुक्ति में उच्चतम दर पर बेतन के रहा था, और यदि मिलने वाले बेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों ने उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो जावू में वहाँ सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य निवृत्ति प्राप्तिकारी द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आवेदन दिये जाने पर देश करने के लिए दायी होता ।

देश करने का
दायित्व ।

(2) देश के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनिवृत्ति किया जा सकता है,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या अधिक निकाय, जहां वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण प्रबन्धा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, तभर नियम या स्थानीय प्राधिकरण प्रबन्धा विस्तवितात्मक ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या अधिक निकाय, जहां वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो प्रबन्धा वैर सरकारी निकाय ।

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्र निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो प्रबन्धा वैर सरकारी निकाय ।

परन्तु देश के किसी भी सदस्य की उसकी सहमति के बिना छप्ट (II) तथा छप्ट (III) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघटन निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनिवृत्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन छुट्टी, पेंशन
तथा अन्य मामले ।

14. देश छुट्टी, पेशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप में उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राप्तिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन प्रबन्धा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गये हों प्रबन्धा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अन्तर्राष्ट्रीय वास्तवी
तथा अधीन ।

15. (1) अनुसासन, शास्त्रियों तथा अधीनों से सम्बन्धित मामलों में देश के सदस्य जनरल-समय पर यथा संशोधित हरियाणा लिखित सेवा (दण्ड तथा अधीन) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होने:

परन्तु ऐसी जास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी जास्तियों अपनाने के लिए सशक्त प्राप्तिकारी तथा अधीन प्राप्तिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होने जो इन नियमों के परिणिष्ठ 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अधीन) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (य) तथा (ष) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी नहं होगा जो इन नियमों के परिवर्त्तन "ब" में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विवेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निवेश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

राजनियता की शपथ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विद्युद्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनियता की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

डील देने की शर्ति।

18. जहाँ सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में डील देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिन कर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रबंग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विज्ञेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति घारेण में विज्ञेष निवन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

20. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और भूत्युर्व समिक्षकों, शाहीरिक क्षेत्र से विकलांग व्यक्तियों क्षेत्र के विभिन्न अवधारणाओं के व्यक्तियों को किए जाने के लिए अवैधित आरक्षणों तथा अन्य विवाहों की प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गये आरक्षणों की कूल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से प्रतिक नहीं होगी।

निरसन तथा अवृत्ति।

21. सेवा को लागू कोई नियम नह। इन नियमों के अनुसृप्त कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से तुरन्त यूर्व लागू हो, उसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की भई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुसृप्त किए गये उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की भई कार्यवाई समझी जाएगी।

परिविष्ट का

(देविप्र० नियम ३)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान		
		स्वामी	प्रस्वामी				
1	2	3	4	5	6		
1.	चक्रवर्णी कानूनगो	24	40	64	1,400—40— 1,600 रुपये ५० रोप.— 50—2,300 द०रो० ६०— 2,600 जमा 100 रुपये विशेष वेतन।		
2.	पेशी कानूनगो	—	7	7	1,400—40— 1,600 द०रो० ५०— 2,300—द०रो०— 60—2,600 जमा 100 रुपये विशेष वेतन।		

नोट:—विशेष वेतन वेतनमान का भाग
 नहीं होता।

परिवहन ए

(वैचारिक नियम 7)

क्रम	पद नाम	संख्या	लीडी चर्टों के लिए सैनिक परिवहन तथा भवनश्व, भवि कोई है	लीडी चर्टों से यात्रा नियमित है जिए जैनिक धर्मार्थ तथा भवनश्व, यदि कोई हो	4
1	2	3			4
1.	चक्रवर्ती कानूनी	—		<ul style="list-style-type: none"> (i) किसी मानवता प्राप्त विवरिकालय से बैटिक या उसके समकाल परिला पास हो। (ii) बैटिक स्तर तक हिन्दी का शान्त । (iii) चक्रवर्ती पटवारी के काष में तीन वर्ष का भवनश्व (पटवार पाठ्यक्रम पास) 	
2.	पैदी कानूनी	—		<ul style="list-style-type: none"> (i) किसी मानवता प्राप्त विवरिकालय से बैटिक या उसके समकाल परिला पास हो। (ii) बैटिक स्तर तक हिन्दी का शान्त । (iii) चक्रवर्ती पटवारी के काष में तीन वर्ष का भवनश्व (पटवार पाठ्यक्रम पास) 	

परिनियम "ए"

[सेविये नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदार्थ	नियुक्ति प्राप्तिकारी	आर्द्धित का स्वरूप	आसिस्ट लगाने के अधीन नियंत्रण सम्बन्ध प्राप्तिकारी	विवरिय तथा घटनियां जिनमें सम्बन्ध प्राप्तिकारी यदि कोई हो	
1	2	3	4	5	6	7
1.	चक्रवर्ती कानूनों	नियेशक	(i) छोटी आसिस्टेंस — — — — —	नियेशक राजसभा	वित्ताधिकार राजसभा	

(i) (वैयक्तिक कार्ड) दाखल चर्ची पर
प्रति दरवां हुये चेतावनी ;

(ii) परिनियम ;

(iii) परोन्नति रोकना ;

(iv) उनेका या भावेष्ठों के उल्लंघन द्वारा
केन्द्रीय प्रत्यक्ष या राज्य सरकार को या
ऐसी कामनी तथा संग्रह तथा व्यापार निकाय,

1	2	3	4	5	6	7
चाहे वह नियमित हो या नहीं, पूर्ण या भविकाम त्वारिख या नियमण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान परिषद के प्रतिनिधित्व द्वारा त्वारिख किसी द्वारित्रीय भविकाम या विवरितात्मक को ही इन लकड़ी पूरी हानि की या उसके बाय को देखा से चली ;	(v) वेतन वर्दितो रोकना ।	(ii) जरी जारिसबो	(vi) किसी विनियोग भवधि के लिये नियमण समवयाल में नियमात् प्रकाश प्रवर्तित ऐसे शर्तित नियमों का हित कि या सरकारी कम्बारी देखी मानति की भवधि के दौरान वेतन बढ़िया भवित करेगा या नहीं और क्या ऐसी भवधि की समाचित पर, ऐसी प्रवर्तति उसकी जावी वेतन वर्दियों त्वारिख करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	वित्ताध्यक्ष प्रवस्थ	सरकार	

(vii) विस्तर बेतनमान, पेंड, पद या सेवा पर ऐसी भवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय बेतनमान, पेंड, पद या सेवा पर दिसते वह बचनत विद्या गया था, परन्तु के लिये साचारात्मक रोक होगी, देसा जिस पेंड अथवा पद प्रधना सेवा से सरकारी कर्मचारी भवनत किया गया था उस पर कहानी साकृती और उसकी व्यङ्गता तथा उस पेंड, पद या सेवा पर बेतन के बारे में कहीं सम्बन्धी भावितव्य निवेद्यों के साथ या उनके बिना होगा ;

(viii) घानवार्द सेवा निवृत्ति ;

(ix) सेवा से हटाया जाना वो सरकार के कार्यालय शब्द नियोजक के लिये निरहुता नहीं होगी ;

(x) सेवा में पदन्वापि जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामाजिक निरहुता होगी ।

प्रतिशिद्ध "धू"

[वंचित् नियम 15(2)]

अमांक संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए संघात प्राधिकारी	कानून प्राधिकारी	वित्तीय तथा अन्यतम कानून प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	बज़ारदारों का लाभगती	(i) पेशां को नियंत्रित करने वाले नियमों के मध्यीत उसे फ़्लूटिंग समाचार/ सार्टिरिकल पेशात की राजि में कमी करना या रोकना ;	नियंत्रक	वित्ताध्यक्ष एवं राजसभा	सरकार
		(ii) उनकी शिक्षिक्याता के लिए नियम भाष्य के होने से कानूना नियुक्त की समाप्ति			

परिशिष्ट (३)

(वंशिये नियम 10)

कानूनगो की परीक्षा के लिये अहेतु प्राप्त करने के लिए पाठ्य कम तथा अन्य ग्रन्ते।

कानूनगो की परीक्षा

पर्व	विषय	कुल अंक	कम से कम पाठ अंक	दानुजात समय
प्रथम	1. स्थाई आदेश 1 तथा 64 (केवल पैरा 6)	120	40 प्रतिशत	तीन बष्टे
2.	अध्याय 2, 3, 4 (भाग च) 7, 8, 10, 19 पैरा 13, 16 तथा पैरा 20 जहाँ तक इसका सम्बन्ध भू-प्रभिलेख रुलअ निवैशिका की विवरणों का, ख, ग, से है।			
3.	परिशिष्ट 7-9 तथा 21 डिवूइज बन्दोबस्त निवैशिका।			
4.	छूटा छूट (वपराघ) अधिनियम जब नागरिक अधिकार, सरकार अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 22)			
5.	हरियाणा भूमि जोत की अधिकातम संस्मा अधिनियम 1972।			
दूसरा	पटवारिज मैनस्योरेशन	70	40 प्रतिशत	तीन बष्टे
तीसरा	आठवीं स्टैम्बडे तक बणित	60	40 प्रतिशत	तीन बष्टे
चौथा	उद्यू श्रुतलेख तथा गुलेख (25) हिन्दी	50	33 प्रतिशत	दो बष्टे
	श्रुतलेख तथा गुलेख (25)		40 प्रतिशत	

ए. वैनरजी,
 सचिव, हरियाणा सरकार,
 चक्रवन्दी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 30th August, 1991

No. G.S.R. 59/Const./Art. 309/91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department Kanungo (Group 'C') Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department Kanungo (Group C) Service Rules, 1991.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;

(b) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules.

(e) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca university; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

- (f) "Service" means the Haryana Consolidation Department Kanungo (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in service unless he is,—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda the United Republic or Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age, on or before the 1st day of August next preceding the last date of submission of application to the Board.

Number and character of posts.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

Age.

Appointing authority.

6. Appointment to any post in the service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered in to or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered in to or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and those are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of Recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

- (a) in the case of Consolidation Kamigos—

- (i) by promotion from amongst the Consolidation Patwaris or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (b) in the case of Peshi Kamigos.—

- (i) by promotion from amongst the Consolidation Patwaris; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. The persons appointed to the service shall have to qualify within a period of two years of his appointment, the Kanungs' examination conducted by the Director Land Records, Haryana as per syllabus and other conditions embodied in Appendix 'E' of these rules. The candidate who does not qualify the said examination within the stipulated period will be reverted to the post from which he was as Kanungo, provided he may be given two more chances to qualify the examination with the approval of the Government.

Departmental Examination.

11. (1) persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, appointed otherwise Provided that—

Probation.

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service may, in the case of an appointment by transfer at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed, period of probation, be entitled to be confirmed unless is appointed against a permanent vacancy.

(2) It, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services, and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—
 - (i) revert him to his former post, or
 - (ii) deal with him to such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against permanent vacancy, or

- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion been not satisfactory—
- (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

12. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more member appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of member appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

- (i) a committee, association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body.

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (i), except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State legislature.

Discipline, penalties and appeals.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rule made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of allegiance.

Power of relaxation.

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

19. Notwithstanding any thing contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes and Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and Savings.

21. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of the rules is being repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A
 (See Rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Kanungo	24	40	64	Rs 1,400—40—1,600—50—23,00—EB 60—2,600 + Rs 100 Special Pay.
2	Poshi Kanungo	—	7	7	Rs 1,400—40—1,600—50—2,300— EB—60—2,600 + Rs 100 Special Pay.

*Note.—Special pay shall not form part
 of the pay scales*

APPENDIX B

[See Rule 7]

Serial No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Consolidation Kanungo	—	(i) Matric or its equivalent from a recognised university or Board. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. (iii) Three years experience as Consoli- dation Patwari (Patwar course Pass)
2	Peshi Kanungo	—	(i) Matric or its equivalent from a recognised university or Board. (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard. (iii) Three years experience as Consoli- dation Patwari (Patwar Course pass)

APPENDIX C

[See Rule 15 (1)]

Sl. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Final and second appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Consolidation Kanungo	Director	Minor Penalties	(i) warning with a copy in the personal file (character roll);	Director	Government
2	Peshi Kanungo			(ii) censure;	Financial Commissioner, Revenue	
				(iii) withholding of promo- tion;		
				(iv) recovery from the pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by		

1	2	3	4	5	6	7
				negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to Company and association of a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and		
				(v) withholding of increments of pay.	Director	F.C.R. Government

Major Penalties :

- (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the

1	2	3	4	5	6	7

Government employee will earn increments or pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

1	2	3	4	5	6	7
			(viii) compulsory retirement;			
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;	Director	F.C.R.	Government
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[See Rule 15 (2)]

Serial No.	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Kanungo } 2. Peshi Kanungo }	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Director Financial Commissioner, Revenue	Government	

APPENDIX E

(See Rule 10)

Syllabus and other conditions for qualifying examination for Kanungo.

EXAMINATION OF KANUNGO

Paper	Subject	Maximum Marks	Minimum qualifying marks	Time allowed
First	1. Standing order 1 and 64 (paragraph 6 only) 2. Chapters 2, 3, 4 (Part D) 7, 8, 10, 19 (Paragraphs 13 and 16 and paragraph 20 so far as it is connected with statement A, B, C of Land Records Manual. 3. Appendices VII—IX and XXI of Douic's settlement Manual. 4. The Untouchability (Offences) Act, 1955 now the Protection of Civil Rights Act, 1955 (Act 22 of 1955). 5. The Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.	120	40%	Three hours
Second	Patwaris Mensuration	70	40%	Three hours
Third	Arithmetic upto the Middle School Standard	60	40%	Three hours
Fourth	1. Urdu (25) (Dictation and calligraphy) 2. Hindi (25) (Dictation and calligraphy)	50	{ 33% 40% }	Two hours

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
 Consolidation Department.

Patwari

हरियाणा सरकार

चकवन्दी विभाग

प्रधिनियम

16 नवम्बर, 1990

संख्या सारों का० नि० 75 /संक्षि०/अनु० 309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हारा प्रदान की गई जाकिलयों और इस नियमित उन्हें सरकार बनाने वाली सभी मन्य वकिलयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके हारा हरियाणा चकवन्दी विभाग पटवारी (गुण ग) सेवा में नियुक्त वकिलयों की मर्ती तथा उनकी सेवा की गतियों को विनियमित करने वाले नियमनियित नियम बनाते हैं,
 अधिकृत :—

भाग-I सामान्य

1. (1) इन नियमों को हरियाणा चकवन्दी विभाग पटवारी (गुण ग) सेवा नियम, 1990 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा व्योक्ति न हो :—

परिभाषाएँ ।

(क) "बोहै" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवा प्रबन्ध बोहै, हरियाणा;

(ख) "मीठी मर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्त जो सेवा में वहले पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में वहले से लगे किसी पटवारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक चकवन्दी, हरियाणा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(उ) संख्या ने अभिप्राय है :—

हरियाणा राज्य में लाल विधि हारा स्थापित कोई संस्था, अथवा सरकार हारा इन नियमों के प्रयोगन के लिए मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ।

(ज) "मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय" से अभिप्राय है :—

(i) भारत में विधि हारा निर्गमित कोई विष्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिलीमा) या प्रमाण पत्र की दण में, पंजाब, सिंधु या हारा विष्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विष्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोगन के लिए सरकार हारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(झ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा चकवन्दी विभाग, पटवारी (वर्ग ग) सेवा;

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा स्वरूप

सेवा में भर्ती किए
गए उच्चीद्वारों
की राष्ट्रिकता,
विधिवास तथा
चरित्र ।

3. सेवा में इन नियमों के परिणाम "क" में बताये गये पद होंगे : परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और जेतनमानों वाले नये पद स्थाई अवधार प्रस्तावी रूप से बनाने के सरकार के सम्बलित अधिकार पर प्रभाव नहीं होती ।

(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह नियन्त्रित न ही :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आवश्य से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कोरिया, बुगांडा, तजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांबानिका और जंगीबाहार), जांबिया, मालीकी, जावरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आवश्य से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (स), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बलित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पालता का प्रमाण पत्र जारी किया जाया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पालता का प्रमाण पत्र आवश्यक ही, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालिक परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पालता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रेषान वैज्ञानिक अधिकारों से चरित्र प्रमाणपत्र श्रीन् दी ऐसे अन्य विष्वविद्यालय व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसे विष्वविद्यालय जीवन में उससे परिचित हों और जो उसके विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोडे हो आवैदन पब प्रस्तुत करने की अनितम तिथि से ठीक पहली अनवरी के प्रबन्ध दिन हो या उस से पहले सप्तह वर्ष की आयु से कम तथा तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु ।

6. सेवा में बोडे पर नियुक्ति निवेशक द्वारा की जाएगी।

नियुक्ति
प्राप्तिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर जब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती दाता में इन नियमों के परिसिद्ध "ख" के बाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्णकृत परिसिद्ध के बाना 4 में उल्लिखित अहंताएँ तथा अनुभव न रखता ही।

अहंताएँ ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहंताओं में बोडे वा अन्य भर्ती प्राप्तिकारण के विषेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील वी जाएगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सीनिकों तथा आर्हीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाली उम्मीदवारों की अवृत्ति संभवा उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

निरहंताएँ ।

8. कोई भी अवित :—

(क) जिस ने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है

या विवाह का संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होने हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार को संतुष्ट हो जाये कि ऐसे व्यक्ति द्वाया विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीचारित के अधीन ऐसा विवाह अनुमति है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित दंग से की जाएगी :—

भर्ती का ढंग ।

(क) सीधी भर्ती द्वारा या

(ख) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

उम्मीदवारों का
प्रशिक्षण और
विद्यार्थीय
परीक्षा ।

परिवीक्षा ।

10. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये पटवारी को परिशिष्ट (ङ) में बणित पाठ्य विवरण के अनुसार पटवारी परीक्षा पास करनी होती है और निदेशक, भू-प्रबिलेज, हरियाणा द्वारा निर्दिष्ट अनुसार उन्हीने की अवधि का खोजीय प्रशिक्षण प्रभाग-पत्र प्राप्त करना होता है ।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त अवधि, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा——

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुसृप्त या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर अवधि की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिन जायेगी,

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अवधि उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राप्तिकारी के विवेक पर इस विषय के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर अवधि की अवधि के लिए में गिनी जायेगी किन्तु कोई की व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन समय में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्टि किये जाने की हफदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राप्तिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के बीचारे किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण तंत्रज्ञनक न रहा हो तो वह——

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसको सेवायों से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो

(i) उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी घन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के नियन्त्रण और गत अनुसार करें ।

- (3) किसी अवित की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राप्तिकारी—
- (क) यदि उसका कार्य तथा आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,—
- ऐसे अवित को, यदि वह स्थायी रिवित पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पूर्ण कर सकता है, या
 - ऐसे अवित को, यदि वह किसी अस्थाई रिवित पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिवित होने की तिथि से पूर्ण कर सकता है; या
 - यदि कोई स्थायी रिवित न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने आपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है, या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो,—
- यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा के अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवालन तथा उसे अनुज्ञात करे, या
 - उसकी परिवीक्षा-अवधि बड़ा सकारा है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बड़ाई भी अवधि भी, यदि कोई हो, सामिल है, तीन बर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके समानार्थी सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संबंध हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संबंध के लिये अलग-अलग रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दबा में ज्येष्ठता किया गया है सभी बोर्ड द्वारा निश्चित कम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दबा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य परोन्तु या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(v) पदोन्नति द्वारा अथवा स्वानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दल में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार नियन्त्रित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्वानांतरण किये गये हों,

(vi) विभिन्न संबंधों ने स्वानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दल में उनकी ज्येष्ठता बेतन के अनुसार नियन्त्रित की जायेगी। अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो प्रपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर बेतन ले रहा था और यदि पिछले बाले बेतन की दर भी समान हो तो उनकी वियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो प्राप्त में वका सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का
दायित्व ।

13. (1) सेवा का कोई भी सदला नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य की सेवा के लिये नियन्त्रित के प्रधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है।

(i) कोई कम्पनी, संगम या अधिक निकाय, चाहे वह विभिन्न हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा प्रधिकारी स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्वामीय प्राधिकरण अथवा विषविद्यालय,

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम या अधिक निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकारी स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्र सरकार के पास है, या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संघठन स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहभागि के बिना बष्ट (ii) या बष्ट (iii) में विनियिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

बेतन, छूटी,
पैशन तथा
अन्य मामले।

14. बेतन, छूटी, पैशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बूध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सभी प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के प्रधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए गई तथा उस समय सामग्री किसी विधि के प्रधीन अपनाये या बनाये नहीं हों, अथवा इसके बाद प्रथमाये या बनाये जायें।

15. (I) अनुशासित, शास्त्रियों तथा आधीनों से गम्भीरत मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संबोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा धरील) नियम, 1987, द्वारा नियमित होने :

अनुशासित शास्त्रियों
तथा आधीनों ।

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वल्प जो लकार्ड जा सकती है, ऐसी शास्त्रियों लगाने के साथका प्राधिकारी तथा आधीन प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के आधीन बनार्ड गई किसी विधि या नियमों के आधीन रहते हुए वे होने प्री इन नियमों के परिणाम "य" में विनियोग हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा धरील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (I) के अण्ड (a) या अण्ड (b) के आधीन आदेश करने के लिए सभी प्राधिकारी तथा आधीन प्राधिकारी भी वही होंगा जो इन नियमों के परिणाम "य" में विनियोग है ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या भागारण आदेश द्वारा ऐसा नियम करे, दीका लगवायेगा तथा पुनः दीका लगवायेगा ।

दीका लगवाना ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य ने जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्वापित भारत के संविधान के प्रति राजनिधा की अपयन से ली हो, ऐसा करने की आवेदन की जायेगी ।

राजनिधा की
अपयन ।

18. जहाँ सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपकरण में होल देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

होल देने की
प्रक्रिया ।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष नियमधन तथा शर्त लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

विशेष उपकरण ।

20. इन नियमों में वी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुशूलित जातियों, गिरजे बगों, भूतपूर्व सैनिकों आद्य विफलांग व्यक्तियों आदवा व्यक्तियों को किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अवैधित आरक्षणों तथा अन्य दिवारों को प्रभावित नहीं करेगी ।

आरक्षण ।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों कहुँ प्रतिशतता किसी भी समय वसास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

परिचय "क"

[विवर नियम ३]

क्रम सं०	पद नाम	पदों की संख्या		जीव	वेतनमात्र
		स्थाई	प्रस्थाई		
1	2	3	4	5	6
1.	चालकनी पटाखो	—	—	140	140 950-20-1150-इ०रो+25-1500 बमा 60 इ० नियम वेतन ।

परिवार "ब"

[दिविय नियम 7]

क्रम संख्या पद नाम सीधी भर्ती के लिये संक्षिप्त
 पहुंचाएँ तथा मनूष, यदि कोई हो

1	2	3	4
1.	नकवटी पटवारी	(1) मैट्रिक पदवा इसके प्रमाण (2) मैट्रिक स्तर तक हुन्ही का जान	(1) मैट्रिक पदवा प्रमाण (2) मैट्रिक स्तर तक हुन्ही का जान
		(3) कम से कम एक वर्ष की उम्रिय के लिये पटवारी क्लूल में परीक्षा प्राप्त करने के प्रत्यावृत् पटवारी परीक्षा पास हो और परीक्षा पास करने के बाद नियोजक मं.-प्रभिलेख, हरियाणा द्वारा नियोजित भ्रमुकार छ. मास का आवश्यक अंकीय प्राप्त किया हो।	(3) कम से कम एक वर्ष की उम्रिय के लिये पटवारी क्लूल में परीक्षा प्राप्त करने के प्रत्यावृत् पटवारी परीक्षा पास हो और परीक्षा पास करने के बाद नियोजक मं.-प्रभिलेख, हरियाणा द्वारा नियोजित भ्रमुकार छ. मास का आवश्यक अंकीय प्राप्त किया हो।

सीधी भर्ती से अलगा नियुक्ति के लिये
 नियुक्ति कर्त्ता तथा भ्रमुक यदि कोई हो

परिषिक्त "बा"

[देश नियम 15 (1)]

क्रम	सं०	पद नाम	नियुक्ति	आर्थिक का स्वरूप	शासित स्थानों के लिये सत्याकृत प्राधिकारी	वित्तीय तथा अंतिम प्रधान प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	चालकारी प्रबन्धी	नियोजक	(i) छात्री आठिनी	(i) वैयक्तिक फाईल (शाखाएँ बंडी पर गति रखते हुए बोतानी); (ii) परिचाला; (iii) पदोन्नति रोकना;		
				(iv) उनैका या जारीनों के उल्लंघन वापर कोर्टीय प्रकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा दंगन	नियोजक प्रकार सरकार	

1	2	3	4	5	6	7
			वेतन व्याप्ति निकाम चाहे वह निर्धारित हो या नहीं विलक्षण पूर्ण या प्रतिक्रिया स्थानिक या नियंत्रण सम्भार के पास है या संचय या राज्य विधान सभार के प्रतिनियम द्वारा निर्धारित किसी व्यारोध प्रतिक्रिया या विष्वविद्यालय को हुई वेतन सम्बन्धी पूरी हार्दिक या उल्लंघन आए की वेतन से वसूली ;	(v)	वेतन व्युदिता रोकना	(2) वकी शासितयों

(vi) किसी विनियोग प्रवधि के लिए
सम्पर्कात्मक में विमतर प्रभव
पर व्यवनति ऐसे अंतिरिक्ष
निदेशों सहित कि वेतना करवारी
कर्मचारी ऐसी व्यवनति की व्यवधि
के दोपहर वेतन व्युदिता
करेगा या नहीं और क्या ऐसी
व्यवधि की समाप्ति दर, ऐसी व्यवनति

1	2	3	4	5	6	7
			के प्रधान भावी नियोजन के लिये निर्देश नहीं होगी;			
			(x) ऐसा हे प्रकल्पित और सरकार के प्रयोग भावी नियोजन के लिये सामाजिक निर्देश होगी।	नियोजक	सामाजिक	सरकार

टिप्पणी:— वैष्णु कम्बनारिद्वन्द के सम्बन्ध में जो भूतपूर्व
वैष्णु सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने
पं० 4 के अधीन वाच (viii) (ix) तथा
(x) तक में विनियोग वारितया लगाते के
लिए केवल सरकार क्षमता होगी।

परिचिन्द "ए"

[दिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदानाम	प्राप्ति का वर्णन	प्राप्ति करने के लिए यात्रा शरीर प्राप्तिकारी	प्राप्ति करने के लिए यात्रा शरीर प्राप्तिकारी
1	2	3	4	5
1.	चकवन्दी पटजारी	(i) पेशत को नियमित करने वाले नियमों के पालन उसे प्राप्ति यात्राएँ/प्रतिरक्षण पेशत की राहि में कभी करना या रोकना; (ii) उत्तरी प्रधिविति के लिये नियम यात्रा के होने से प्रयत्न उसकी नियमित हो समर्पित।	नियमित प्रतिरक्षण	प्रतिरक्षण

दियायी :—ऐसू जनं पारो देवत के सम्बन्ध में जो
प्रतिरक्षण या प्रतिरक्षण करका द्वारा नियमित
किए गए थे, जबकि (i) घोर (ii)
तरफ में विभिन्न शास्त्रियों द्वारा
के लिए यात्रा यात्रा होती।

परिज्ञान "४"

[देखिए नियम 10]

पंजाब भू-भिलेख नियम पुस्तका परिज्ञान "४" में पटवारी परीक्षा का पाठ्य विवरण तथा अन्य जाते।

(1) पटवारी परीक्षा:

पेपर विषय प्रविक्षण प्रक्रम अनुभाग संख्या

1. गणित और पटवारी वैशाख 100 तीन घण्टे

2. भू-भिलेख नियम पुस्तका और चक्रवर्णी 100 तीन घण्टे

3. भूमि से सम्बन्धित मध्य-
नियम और नियम (पुस्तकों
की सहायता से) 100 तीन घण्टे

4. विनियम अधिनियमों और
नियमों का ज्ञान (पुस्तकों की
सहायता से) 100 तीन घण्टे

5. सूलेख लेखन और सूलेख 50 तीन घण्टे

6. भूमि वैशाख और भिलेख 100 तीन घण्टे

(2) पेपर संख्या 2 के दो अनुभाग होंगे :

अनुभाग-क — भू-भिलेख नियम
पुस्तका 70 अंक

अनुभाग-ख — चक्रवर्णी 30 अंक

(3) (i) अत्येक उम्मीदवार के लिए पात्र अंक प्राप्त करना चाहीरी है।

(ii) अनुभाग क में इस प्रवेष होने चाहिए विसमें से यात्रा प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हैं।

(iii) अनुभाग ख में यात्रा विषय होने चाहिए विसमें से तीन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हैं।

(4) पात्र होने के लिए उम्मीदवार को पेपर संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत और पेपर 5 में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहीरी है।

(5) छटे पेपर में परीक्षार्थी पटवार जिक्षण काल के दौरान किए गए कार्य को प्रस्तुत करेंगे और पेपरों की विषय वस्तु के सम्बन्ध में उनकी सूझ-बूझ की परीक्षा भी जाएगी। लेखन शैली की अवधारणा तथा दिये गये उत्तरों से प्रदर्शित बृहिमता के प्राप्तारर रर उन्हें अधिनिर्णय दिये जायेंगे।

(6) उम्मीदवार स्वर्व नकल किया गया नक्का प्रस्तुत करेगा जो संस्था के अध्यापक और प्रधान अध्यापक दोनों द्वारा विशिष्ट प्रमाणित होगा तब परीक्षक सर्वेक्षण दल को बाहर ले जायेंगे और उनकी उपस्थिति में परीक्षार्थी को नये स्थल पर कार्य करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी नक्के की नकल और मूल नक्के बनाने की योग्यता तथा परीक्षक की उपस्थिति में उसके दल द्वारा किए गए कार्य के प्राप्तारर पर अंक दिये जायेंगे।

(7) यदि कोई उम्मीदवार पटवार स्कूल में विद्यमित रूप से पढ़ने जाने के बाद भी स्थल पैमायश और अभिलेख के पेपर के प्रतिरिक्त किसी एक या अधिक विषय में पास नहीं होता, तो उसे बाद में उस विषय अवधा उन विषयों में पुनः परीक्षा होता है तब बैठने के लिये वी से अधिक अवसर नहीं दिये जायेंगे। स्थल पैमायश और अभिलेख के पेपर में असफल होने वाले उम्मीदवारों को पुनः उस अवधि के दौरान विद्यमें प्रजिक्षणार्थियों को वह विषय पढ़ाया जाता है, स्कूल जाना पड़ेगा और उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी।

५० बैत्तीं,

गच्छ, हरियाणा सरकार,
चक्रवर्ती विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 16th November, 1990

No. G.S.R. 75 Const./Art.309/90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department Patwaris (Group C) Service, namely:—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department Patwaris (Group C) Service Rules, 1990.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;
- (b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana ;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "Institution" means,—
 - (i) institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "recognised University" means,—
 - (i) any University incorporated by law of in India ; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
 - (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

See Schedule
Title of the
Rules.

Short
title.

Definitions.

- [g] "Service" means the Haryana Consolidation Department Patwari (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
Character
of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts, or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile
and charac-
ter of candi-
dates ap-
pointed to
the Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the Principal academic officer of the University, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of January next preceding the last date of submission of application to the Board.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Director.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse, living his entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Recruitment to the Service shall be made,—

Method of recruitment.

- (a) by direct recruitment; or
(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

10. Persons appointed by direct recruitment shall have to qualify Patwar examination as per syllabus given in Appendix E and obtain a certificate of field training for a period of six months as may be specified by the Director, Land Records, Haryana.

Training and department of examination.

Probation.

11. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on promotion for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise.

Provided that—

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service may, in the case of an appointment to any post by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation, satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

12. Seniority, interest of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (b) in the case of members appointed by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were transferred ; and
- (c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

- (i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

**Pay, leave
pension
and other
matters.**

(iii) any other State Government, an international organisation or an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

**Discipline,
penalties
and appeals.**

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules the members of the service shall be governed by such rules, and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules, made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, and appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

**Vaccina-
tion.**

16. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

**Oath of
allegiance.**

17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

**Power of
relaxation.**

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**Special
provisions.**

19. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

**Reserva-
tions.**

20. Nothing contained in these rules, shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically-handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

APPENDIX A
(See Rule 3)

Serial No.	Designation of post	Number of posts		Total	Scale of pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Patwari	—	140	140	Rs. 950—20—1,150—EB—25— 1,500 plus Rs. 60 as special pay

APPENDIX B

(See Rule 7)

Serial No.	Designation Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment		Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	
		1	2	3	4
1	Consolidation Patwar	(1) Matriculation or its equivalent (2) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(1) Matriculation or its equivalent (2) Knowledge of Hindi upto Matric standard	(1) Qualifies the patwar examination after attending the patwar school for a minimum period of one year and after qualifying the examination undergoes such practical field training for a period of 6 months as may be specified by the Director, Land Records, Haryana	(3) Qualifies the patwar examination after attending the patwar school for a minimum period of one year and after qualifying the examination undergoes such practical field training for a period of 6 months as may be specified by the Director, Land Records, Haryana

APPENDIX C
 [See rule 15(1)]

Serial No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Consolidation Patwari	Director	(1) Minor Penalties— (i) Warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) Censure; (iii) Withholding of Promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a	Director	Government

1	2	3	4	5	6

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

Note.—The State Government alone will be competent to impose penalties specified in clause (viii), (ix) and (x) under column 4 in respect of Pepsu employees who were appointed by the erstwhile Government of Pepsu.

APPENDIX D
 [See rule 15 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Consolidation Patwari	<ul style="list-style-type: none"> (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation. 	Director	Government

Note:—The State Government alone will be competent to impose penalties specified in (i) and (ii) above in respect of Pepsu employees who were appointed by the erstwhile Government of Pepsu.

APPENDIX E

(See Rule 10)

Syllabus and other conditions of examination for patwaris as contained in Appendix B of Punjab Land Records Manual.

(I) EXAMINATION OF PATWARIES

Paper	Subject	Maximum marks	time allowed
1.	Arithmetic and Patwaries Mensuration	100	3 hours
2.	Land Records Manual and Consolidation of Holdings	100	3 hours
3.	Acts and Rules pertaining to lands (with the aid of books)	100	3 hours
4.	Knowledge of various Acts and Rules (with the aid of books)	100	3 hours
5.	Dictation, Composition and Calligraphy	50	3 hours
6.	Spot Measurement and Records	100	3 hours
(2)	Paper 2 shall consist of Sections A and B.		
	Section A—Land Records Manual	70 marks	
	Section B—Consolidation of holdings	30 marks	
(3)	(i) A candidate must obtain qualifying marks in each section.		
	(ii) Section-A shall contain ten questions, out of which seven are required to be attempted.		
	(iii) Section-B shall contain five questions, out of which three are required to be attempted.		

(4) To qualify an examination, a candidate must obtain 40% marks in respect of Papers 1, 2, 3, 4 and 6 and 50% marks in respect of Paper 5.

(5) In paper 6 the examinees will produce the work done by them during the term of patwar school and will be examined on the contents of the papers in order to ascertain their understanding. Marks will be awarded for excellence writing and aptitude shown in replies.

(6) A candidate will produce a map copied by him duly certified by the teacher and headmaster of the institution. Survey squads will then be taken out by the examiners and the candidate shall be required to work on new ground in their presence. Marks will be awarded according to the merits of each map copy and original map and according to the working in the examiner's presence.

(7) If a candidate after regularly attending the patwar school fails to qualify in one subject or more than one except spot Measurement and Records, he may be allowed not more than two occasions to sit for re-examination in that subject or those subjects. Candidates failing in Spot Measurement and Records, will have to attend the school again for the term during which the trainees are taught that subject, and will be required to sit for re-examination therein.

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Consolidation Department.

Clerk

हरियाणा सरकार

चक्रबन्दी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सांकेतिको 55 / संविधि / अनुच्छेद 309 / 2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्युत्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य चक्रबन्दी विभाग लिपिक वर्गीय (पुष्प ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. ये नियम हरियाणा राज्य चक्रबन्दी विभाग लिपिक वर्गीय (पुष्प ग) सेवा संशोधन नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य चक्रबन्दी विभाग लिपिक वर्गीय (पुष्प ग) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

*१९क.—(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए/भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो गुप्त घ तथा रेस्टोरेंट इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। गुप्त घ में पदों के पूर्वावल प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

- (3) हरियाणा सरकार इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपविधित पहले पाठ्यक्रम के अधिरिकत जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्निष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने को लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्तों को पूरा करने के साथ्य के रूप में स्थीकार किया जायेगा।
- (4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउज़िंग तथा ई-मेल मैनेजमेन्ट होंगे।
- (5) लिपिकों की दशा में, दोनों ग्रामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अधोजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।
- (6) निम्नलिखित योग्यता सख्ते याते कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :-
 - (i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए. बी.सी.ए. या भान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
 - (ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी और्डेनेशनी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से वैसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्राप्ताण-पत्र;
 - (iii) एच.यो.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.एल.) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच.एस.सी.आई.टी.);
 - (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा
 - (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायाँ तथा दायाँ) का अंगछेदन, ऊपरी अंगों का अंगछेदन, ऐलेक्सिस ऑफ रेब्यल (रेब्यल नैव पॉलिजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेविलनेशन डिजेनरेशन डिसऑडर्ड जो हाथ के लकड़ी तथा इसकी मांसपेशियाँ की झीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

संधायि, इन कार्गचारियों को उपरोक्ता उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्पगूटर आप्रीसिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा करीयर करना अपेक्षित होगा।”।

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट या में—

- (I) क्रम संख्या 7 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“(i) 10+2;”;

- (II) क्रम संख्या 8 के सामने—

- (I) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“(i) 10+2;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान,

(iii) नियम 9 के दृष्टिगत विद्यमान (iii) लोप की गई है; तथा

- (II) खाना 4 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

“(i) 10+2;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान,

(iii) नियम 9 के दृष्टिगत विद्यमान (iii) लोप की गई है;

(iv) सेवादार के रूप में पांच घण्ट का अनुभय।”।

कृष्ण मोहन

अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
CONSOLIDATION DEPARTMENT
Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 55/Const./Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), after Rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

- 9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.
- (2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.
- (3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as

the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

- (4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.
- (5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.
- (6) The Employees possessing the following qualification are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—
 - (i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnic;
 - (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
 - (iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
 - (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
 - (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

3. In the said rules, in Appendix B,—
 - I. against serial number 7, under column 3, for the existing item (i) the following item shall be substituted, namely:—
"(i) 10+2;"
 - II. against serial number 8,—
 - (I) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
(i) 10+2;
(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;
(iii) Existing (iii) omitted in view of rule 9A"; and
 - (II) under column 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
(i) 10+2;
(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;
(iii) Existing (iii) omitted in view of rule 9A;
(iv) Five years experience as peon.".

KRISHNA MOHAN,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to
Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

चकवन्दी विभाग

प्रशिक्षण

दिनांक 27 मार्च, 1998

संख्या सा० का० नि० 99 संवि०/धगु०/309/98.—सरकार के सचिवाल के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हार्य प्रदान की गई जक्षियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके डारा, हरियाणा चकवन्दी विभाग, लिपिक-बर्गीय कमेन्टारी बूँद (पृष्ठ ग) सेवा में नियुक्त जक्षियों की भर्ती तथा सेवा की जरूरों को विविधिक करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथात्—

भाग I—सामान्य

संशिखित नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य चकवन्दी, विभाग, लिपिक-बर्गीय (पृष्ठ ग) सेवा निवार, 1998 कहे जा सकते हैं।

(2) ये इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिचयात् :

2. इन नियमों में, जब तक संरक्ष से यन्त्रणा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कमेन्टारी चयन आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति डारा या सारस चकवार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पक्षपारी के स्थानान्तरण से यन्त्रणा की गई हो;

(ग) "निवेशक" से अभिप्राय है, निवेशक चकवन्दी, हरियाणा;

(घ) "विलापुक राजस्व" से अभिप्राय है, प्रावृक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशान्तिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में नामू विधि डारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोगनार्थ सरकार डारा यान्त्रिता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(८) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" में गमित्राय है।—

- (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय ; या
- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के गणित स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (टिप्पोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, बंजार, मिध या इका विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोगार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

(ब) "सेवा" से गमित्राय है, हारियाणा चक्रवर्ती विभाग निपिक-वर्तीय कर्मचारी-मृद (बृप्त ग) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट के बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों को कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में बढ़ाया करने या विभिन्न पदनामों और बेतनबानों जाने नहीं पद स्वार्थ प्रबन्ध अव्वार्ड रूप से उनाने के सरकार के प्रत्यनिहित अधिकार पर विभाव नहीं आलेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकाता, अधिवास तथा चरित्र :

4. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह नियन्त्रित न हो :—

- (क) भारत का नामिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का लरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, यूंगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंबीवार), जांबिया, मलावी, जायरे, प्रोट इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हुएकर भारत में स्थायी रूप से बसने के प्राप्त आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रबंग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो बोड़े या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा सुन्मानित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो बोड़े या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा सुन्मानित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी शनितम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान नैक्षणिक प्रधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भाली परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

प्राप्त :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह आपेक्षा को प्रावेदन पत्र प्रस्तुत करने को अन्तिम तिथि से ठीक पहले मास के प्रथम दिन को अपेक्षा उससे ५२वे १७ वर्ष की आयु से कम का या ३५ वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राप्तिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ निदेशक, द्वारा की जाएगी।

योग्यताएँ :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट वा के खाला ३ में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाला ४ में उल्लिखित योग्यताएँ तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर ५० प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है। यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े बर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा जातीशिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो ऐसा करने के लिये नियुक्ति रूप से कारण घिये जायेंगे।

यज्ञोग्यताएँ :

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा कर ली है; या

(ब) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीकृत विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य चालाक भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से झूट दे सकती है।

भर्ती कांडग

9. सेवा में भर्ती नियमनियुक्त हैंगे से की जाएगी :—

(क) निजी महायक की दशा में,—

(i) चरित्र बेतनमान आणूलिषिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ब) उपाधीक की दशा में,—

(i) सहायकों या लेखकारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ग) सहायकों की दशा में,—
 (i) लिपिकों या कनिष्ठ बेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (घ) लेखाकार की दशा में,—
 (i) 50 प्रतिशत लिपिकों या कनिष्ठ बेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ङ) वरिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—
 (i) 50 प्रतिशत कनिष्ठ बेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (च) चालक की दशा में,—
 (i) सीधी भर्ती द्वारा ;
 (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (०) कनिष्ठ बेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—
 (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ज) लिपिक की दशा में,—
 (i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा
 (ii) 20 प्रतिशत सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (2) जब तक अन्यथा उपलब्धित न हो सभी पदोन्नति या अवैष्टका एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और लेवल अवैष्टका ऐसी पदोन्नति के लिये हकदार नहीं बनायेगी।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो बर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक बर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुसंधान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि की ओर गिरी जायेगी ;

(४) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की बात में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अवधा उच्चतर पद पर किये गये कार्य कोई अवधि, नियुक्ति प्राप्तिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा-अवधि की ओर बिनने वी जा सकती है; और

(५) स्थानान्तरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर अतीत की वह अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी अवधि जिसने ऐसे स्थानान्तरण रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्ति न किया गया हो, पृष्ठ किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(२) यदि नियुक्ति प्राप्तिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दोरान किसी अवधि का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा अवधि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसको सेवाओं से छलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा अवधि सीधी भर्ती से आन्धा नियुक्त किया गया हो तो,

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(३) किसी अवधि की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राप्तिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे अवधि को, यदि वह किसी स्थाई रिवित पर नियुक्त किया गया हो तो, उसकी नियुक्ति की लियि से पृष्ठ कर सकता है; या

(ii) ऐसे अवधि को यदि वह किसी स्थाई रिवित पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिवित होने की लियि से पृष्ठ कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिवित न हो, तो शोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से छलग कर सकता है यदि आन्धा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आयोग कर सकता है जो परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी सामिल है, तीन बर्ष से अधिक नहीं होगा।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में हिसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकार के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु यहाँ सेवा में विभिन्न संदर्भ हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संबंध के लिये आनंद-अनंद निश्चित की जायेगी :

परन्तु वह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित प्रोत्तरा कम परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

परन्तु वह और कि एक ही लिपि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की होती नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरण किये गये हैं ; और

(घ) विभग संबंधी रूप स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता उनके बेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पड़ते की नियुक्ति में उच्चतार दर पर बेतन से रहा था, और यदि मिलने वाले बेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आये में वहाँ सदस्य छोटे से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का वायित्व :

12. (1) सेवा वा कोई सदस्य, नियुक्त प्रतिक्रियार्थी द्वारा, हस्तियाणा वायत में प्रथमा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेत किये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के लिये सदस्य को नियन्त्रित के अधीन भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

(i) किसी कामनी, संगम या व्याप्ति-निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नवर नियम या स्वामीय प्राधिकारण द्वारा वित्तविधालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कामनी, संगम या व्याप्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; यथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या व्याप्ति-निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा ऐसे सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सम्बन्धि के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में विवरित केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय से सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैशन तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट सूप्र से उपदेश नहीं किया गया है, सेवा के तदहर ऐसे नियमों तथा विविधों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो आम समय प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन प्रशस्ता राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उन सभव लाभ किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्त्रियों तथा अधीकारी ।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियों तथा अधीकारी से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य तथा समय पर यथा संतोषित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्त्रियों लगाने के लिये संशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपदेशों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिणाम "ग" में विनियिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होंगे जो इन नियमों के परिणाम प में विनियिष्ट हैं ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विजेता या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पूर्ण टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की व्यवस्था ।

16. सेवा के प्रत्येक समय से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की प्रयेक्षा की जायेगी ।

दील देने की अनिष्टि ।

17. वहाँ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में हील देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी बगं या प्रबन्ध के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राप्तिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेशों में विशेष नियबन्ध तथा यथें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में ही यही कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, विछड़े बगौ, चूतपूर्व संनिकों, जारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों यथवा व्यक्तियों के हिस्सी जग्य वा प्रबन्ध को दिये जाने के लिये अनेक आरक्षणों तथा अन्य रियासतों को प्रभारित नहीं करेगी ।

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होती ।

निरसन तथा भावृति ।

20. (1) पंजाब चकवन्दी सेवा राज्य सेवा कम, III (लिपिक वर्गीय कर्मचारी बृन्द) नियम, 1962, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के प्रधीन किया गया कोई आदेश या की यही कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के प्रधीन किया गया आदेश यथवा की यही कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिविष्ट का

(दिल्ली नियम ३)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1	निजी सहायक	—	1	1	1640-60-2600-दशतारोध-75-2900 रुपये
2	उपाधीकर्ता	1	2	3	1640-60-2600-दशतारोध-75-2900 रुपये
4	सहायक	3	5	8	1400-40-1600-50-2300-दशतारोध 60-2600 रुपये
4	लेखाकार	—	2	2	1400-40-1600-50-2300-दशतारोध 60-2600 रुपये
5	वरिष्ठ वेतनमान प्राणिलिपिक	—	1	1	1400-40-1600-50-2300-दशतारोध 60-2600 रुपये
6	चालक	1	3	4	1200-30-1560-दशतारोध-40-2040 जगत मुक्तालय ने काम करने वाले चालकों को 200 रुपये विशेष वेतन और द्वेष में काम करने वाले चालकों को 100 रुपये विशेष वेतन।
7	निनिष्ठ वेतनमान प्राणिलिपिक	1	2	3	1200-30-1560-दशतारोध-40-2040 रुपये
8	लिपिक	5	45	50	950-20-1150-दशतारोध-25-1500 रुपये

परिज्ञान य

(देखिए नियम 7)

क्रम	पदनाम	सौधी भत्तों के लिये शैक्षणिक योग्यताएँ तथा अनुभव, यदि कोई हो	सौधी भत्तों से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएँ तथा अनुभव, यदि कोई हो ।
------	-------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

1	नियोजित सहायक	—	(i) मैट्रिक/हायर सेकंडरी वा समकक्ष या $10+2$ (व्यावासायिक) ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) हिन्दी प्राण्युलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और 15 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन तथा प्रत्येकी आगे लिपिक 100 शब्द प्रति मिनट और 20 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन , (iv) नियित आगे लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;
2	उपाधीकारी	—	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक अधिकारी समकक्ष परीक्षा ; (ii) सहायक अधिकारी लेखाकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;
3	सहायक	—	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक अधिकारी समकक्ष परीक्षा ;

1 2

3

4

4 लेखाकार

(i) किसी मान्यता प्राप्त विषय-
विद्यालय से स्नातक ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
ज्ञान ।

5 वरिष्ठ वेतनमान
आशुलिपिक

(i) किसी मान्यता प्राप्त विषय-
विद्यालय से स्नातक ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से
हिन्दी आशुलिपिक और 15
शब्द प्रति मिनट की गति से
उसका प्रतिलेखन ;

(ii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
या लिपिक के रूप में तीन वर्ष
का अनुभव ।

(i) चिनी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय
या बोर्ड से मैट्रिक या उसके समकक्ष
परीक्षा ;

(ii) लिपिक या कनिष्ठ वेतनमान
आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष
वर्ष का अनुभव ।

(i) मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक या
समकक्ष 10+2 (अवगायिक) ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से
हिन्दी आशुलिपिक और 15
शब्द प्रति मिनट की गति से उसका
प्रतिलेखन ;

अथवा

100 शब्द प्रति मिनट की गति
से अंग्रेजी आशुलिपि और 20
शब्द प्रति मिनट की गति से उसका
उसका प्रतिलेखन ।

अथवा

100 शब्द प्रति मिनट की गति से
अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द
प्रति मिनट की गति से उसका
प्रतिलेखन ;

(iv) कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में
एक वर्ष का अनुभव ।

6 चालक

(i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष ;

(ii) हल्के बाहन चलाने के दो वर्ष के
अनुभव सहित हल्के बाहन चलाने
का नाईसीम छात्रण करता हो ।

(i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष ;

(ii) हल्के बाहन चलाने के दो वर्ष के
अनुभव सहित हल्के बाहन के
चलाने का नाईसीम रखता हो ।

1 2

3

4

7 कनिष्ठ वेतनमान (i) मैट्रिक यात्रा उच्चतर माध्यमिक अवधा समकक्ष यात्रा 10+2 (व्यवसायिक) (i) मैट्रिक अवधा उच्चतर माध्यमिक अवधा समकक्ष यात्रा 10+2 (व्यवसायिक)

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी भाषुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी भाषुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

यात्रा

अवधा

100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी भाषुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट उसका प्रतिलेखन ।

100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी भाषुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

(iv) कनिष्ठ भाषुलिपि के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।

8 लिपिक

(i) जिसी मानस्ता प्राप्त विश्व-विजात्रय वा बोर्ड से मैट्रिक यात्रा 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष परीक्षा ; (i) जिसी मानस्ता प्राप्त विश्वविद्यालय वा बोर्ड से मैट्रिक उच्चतर माध्यमिक यात्रा 10+2 (व्यवसायिक) या समकक्ष परीक्षा ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

(iii) कमज़ 25 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप ; (iii) कमज़ 25 तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईप ;

(iv) सेक्षावार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ॥

परिचय ग

[विवेद नियम 14 (1)]

क्रम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति का स्वरूप	शास्ति	अपील	द्वितीय वा
संख्या		प्राधि- कारी		नगाने	प्राधिकारी	अंतिम अपील

1 2 3 4 5 6 7

छोटी शास्तियाँ :

- | | | | |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 नियोजक सभायक | निदेशक | (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण)
यज्ञी) पर प्रति रखते हुए,
बेतावनी; | निदेशक वित्तापुक्त,
राजस्व |
| 2 उपाधीक | | (ii) परिचिन्दा; | |
| 3 सहायक | | (iii) पदोन्नति रोकना; | |
| 4 लेखाकार | | (iv) आवेदों की अपेक्षा या
उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार | |
| 5 वरिष्ठ बेतनमान
प्राणुलिपिक | | या किसी राज्य सरकार को
या ऐसी कम्पनी, संगम या
व्यापिक निकाय, जाहे वह | |
| 6 चालक | | नियमित हो या नहीं जिसका
पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व | |
| 7 अवर बेतनमान
प्राणुलिपिक | | या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार
या राज्य सरकार के पास है, | |

1	2	3	4	5	6	7
8	लिपिक					
			या संतद या किसी राज्य विधान मण्डल के अधिनियम हरा स्थानीय प्रांधिकरण या बिल- विभाग को हुई घन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन में बस्ती ;	निदेशक वित्ताध्यक्ष, सरकार राजस्व		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			बड़ी गारिलयों :			
			(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			(vii) किसी विनियिट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त नियोगों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दोरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की सवालिय पर, ऐसी अवनति उसकी भाली वेतन वृद्धियां स्वयंसित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, प्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, प्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनति किया गया था, पदोन्नति के लिये नापारणतया			

1

2

3

4

5

6

7

रोकहोगी, ऐसा जिस ग्रेड,
 प्रशंसा पद अथवा सेवा से
 सरकारी कर्मचारी अवनत
 किया जाया या उस पर बहाली
 सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता
 तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर
 वेतन के बारे में शांतों सम्बन्धी
 अलिंगिक निदेशों के साथ या
 उनके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो
 सरकार के ग्राहीन भावी
 नियोजन के लिये निरहंता
 नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदन्युति जो सरकार
 के ग्राहीन भावी नियोजन के
 लिये सामान्यतः निरहंता
 होगी ।

परिचय

[देखिए नियम 14 (2)]

अम	एदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये	परीक्षा	हितीय
संखा				प्राधिकारी	तथा मन्त्रिम्
			सशक्त		प्रभील
			प्राधिकारी		प्राधिकारी
					विदि कोई
					हो।

1	2	3	4	5	6
1	निवी सहायक	(i) पेशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुसूया सामान्य/प्रतिरिक्षित पेशन की राजि में कमी करना या रोकना;	निवेशक	वित्ताधिकारी	मरकार
2	उपाधीकार	(ii) उसकी प्रधिवितीतों के लिये नियत नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		राजस्व	
3	सहायक				
4	वेष्याकार				
5	प्रबर वेतनमान ग्राजुलिपिक				
6	चालक				
7	प्रबर वेतनमान ग्राजुलिपिक				
8	लिपिक				

कौ० जी० बर्मा,

सचिव, हरियाणा मरकार,
षक्तवन्दी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 27th March, 1998

No. G.S.R. 99/Coast/Amd./309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means Staff Selection Commission, Haryana;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Consolidation of Holdings, Haryana;

(d) "Financial Commissioner Revenue" means the Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Revenue Department;

(e) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(f) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(g) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or

- (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or
 - (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;
- (h) "Service" means the Haryana Consolidation of Holdings Department, Ministerial Staff (Group C) Service ;

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of Posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and Character of candidates appointed to Services.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—
- (a) a citizen of India ; or
 - (b) a subject of Nepal ; or
 - (c) a subject of Bhutan ; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government .

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government .

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution .

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age, on or before the 1st day of the month next preceding the last date of submission of application to the Commission .

Appointing authority.

6. Appointments to any post in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment;

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, backward classes, ex-Servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of Recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

- (a) in the case of Personal Assistant,—

- (i) by promotion from amongst the Senior Scale Stenographer; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (b) in the case of Deputy Superintendent,—

- (i) by promotion from amongst the Assistants or Accountants; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (c) in the case of Assistant,—

- (i) by promotion from amongst the Clerks or Junior Scale Stenographers; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (d) in the case of Accountant,—
 - (i) 50% by promotion from amongst the Clerks or Junior Scale Stenographers ; and
 - (ii) 50% by direct appointment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;
- (e) in the case of Senior Scale Stenographer,—
 - (i) 50% by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer ; and
 - (ii) 50% by direct appointment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (f) in the case of Driver,—
 - (i) by direct recruitment ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (g) in the case of Junior Scale Stenographer,—
 - (i) by direct recruitment ; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (h) in the case of Clerk,—
 - (i) 80% by direct appointment ; and
 - (ii) 20% by promotion from amongst Peons : or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

- (a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy ;

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the service, seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in case of a member appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority ;

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to member appointed by transfer ;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana ; on being ordered so to do by the appointing authority,

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, pension and other matters

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause-(c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedule Caste, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made, shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Savings

20. The Punjab Consolidation of Holding Class III (Ministerial Services) Rules 1962, in their application to the State of Haryana are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

S. No	Designation of posts	No. of Posts		Total	Scale of Pay	
		Perma-nent	Tempo- rary			
		3	4	5	6	Rs.
1	Personal Assistant	..	1	1	1,640—60—2,600—EB—75—2,900	
2	Deputy Superintendent	1	2	3	1,640—60—2,600—EB—75—2,900	
3	Assistant	3	5	8	1,400—40—1,600—50—2,300—EB—60—2,600	
4	Accountant	..	2	2	1,400—40—1,600—50—2,300—EB—60—2,600	
5	Senior Scale Steno-grapher	1	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300—EB 60—2,600	
6	Driver	1	3	4	1,200—30—1,560—EB—40—2,040 plus Rs. 200 as special pay working in Head Office and Rs. 100 special pay for driver working in the field.	
7	Junior Scale Steno-grapher	1	2	3	1,200—30—1,560—EB—40—2,040	
8	Clerk	5	45	50	950—20—1,150—EB—25—1,500.	

APPENDIX B

(See rule 7)

S. Designation of Posts Academic qualifications and Academic qualifications and
 No experience, if any, for direct experience, if any for appointment
 recruitment other than by direct recruitment

1	2	3	4
1	Personal Assistant		<ul style="list-style-type: none"> (i) Matriculation or Higher Secondary or equivalent or 10+2 (Vocational) ; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ; (iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 Words per minute and English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 120 words per minute ; (iv) Three years experience as Senior Scale Stenographer.
2	Deputy Superintendent		<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric or equivalent examination of recognised university or Board ; (ii) Three years experience as Assistant or Accountant.
3	Assistant		<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric or equivalent examination of a recognised University or Board; (ii) Three years experience as Clerk or Junior Scale, Stenographer .
4	Accountant	<ul style="list-style-type: none"> (i) Graduate of a recognised University ; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric or equivalent examination of a recognised university or Board ; (ii) Three years experience as Clerk or Junior Scale Stenographer.

1

2

3

4

5 Senior Scale Stenographer	(i) Graduate of a recognised University;	(i) Matric or Higher Secondary or equivalent or 10+2 Vocational ;
	(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard;	(ii) knowledge of Hindi up to Matric standard ;
	(iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute	(iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute;
	OR	
	English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof 20 words per minute.	English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;
		(iv) One year experience as Junior Scale Stenographer ;
6 Driver	(i) Matric or its equivalent;	(i) Matric or its equivalent;
	(ii) Must possess driving licence of a light vehicles with two years experience of driving a light vehicle.	(ii) Must possess driving licence of light vehicle with two years experience of driving a light vehicle.
7 Junior Scale Stenographer	(i) Matric or Higher Secondary or equivalent or 10+2 (Vocational);	(i) Matric or Higher Secondary or equivalent or 10+2 (Vocational);
	(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard;	(ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;
	(iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute ;	(iii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute ;
	OR	
	English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;	English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;
		(iv) Three years experience as Junior Scale Stenographer

1

2

3

4

8 Clerk

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) Matric or Higher Secondary or 10+2 (Vocational) or equivalent examination of a recognised University or Board; | (i) Matric or Higher Secondary or 10+2 (Vocational) or equivalent examination of a recognised University or Board ; |
| (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ; | (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ; |
| (iii) Hindi and English type at 25 words per minute and 30 words per minute respectively; | (iii) Hindi and English type at 25 words per minute and 30 words per minute respectively ; |
| (iv) Five years experience as Peon: | |

APPENDIX C

[See rule 14 (I)]

Sr.	Designation of No posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority and final appellate authority, if any	Second
1	2	3	4	5	6	7
1	Personal Assistant	Director	1. Minor Penalties—	Director	Financial Commissioner	
2	Deputy Superintendent		(i) warning with a copy in the personal personal file (Character roll);		Revenue	
3	Assistant		(ii) censure;			
4	Accountant		(iii) withholding promotion ;			
5	Senior Scale Stenographer		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company or an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and			
6	Driver					
7	Junior Scale Stenographer					
8	Clerk					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(v) withholding of increments of pay with or without cumulative effect;

2. Major Penalties.—

(va) withholding of increments of pay with cumulative effect;

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower scale of pay grade, post or service which ordinarily bear to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or service.

GVT GAZ., SEPT. 15, 1998
(BHDR 24, 1920 SAKA)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

from which the
Government emp-
loyee was
reduced and
his seniority and
pay on such
restoration to that
grade, post or
service ;

- (viii) Compulsory
retirement ;
- (ix) removal from
service which
shall not be a
disqualification
for future employ-
ment under the
Government ;
- (x) dismissal from
service which
shall ordinarily
be a disquali-
fication for future
employment under
the Government ;

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authorities and final appellate authority, if any	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Personal Assistant	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or Additional pension admissible under the rules governing pension;	Director	Financial Commis- sioner Revenue	Government
2	Deputy Superintendent				
3	Assistant	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation ;			
4	Accountant				
5	Senior Scale Stenographer				
6	Driver				
7	Junior Scale Stenographer				
8	Clerk				

K. G. VARMA,
 Secretary to Government, Haryana,
 Consolidation Department.

हरियाणा सरकार

चक्रवर्ती विभाग

संधिसूचना

From

दिनांक 16 नवम्बर, 1990

सं. सांका. नि. 74/संवि. 369/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तुका द्वारा प्रदान की गई अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा चक्रवर्ती विभाग संपर्क से जैविक अधिकारों को भर्ती लेवा उनकी सेवा लेती को विनियमित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा नियम बनाने हैं, पर्याप्त :—

भाग—I.—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा चक्रवर्ती विभाग (चूप च) सेवा नियमावली, 1990, संशोधन।
 कहे जा सकते हैं।

परिभ्राष्ट।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से धन्यवा ध्येयित न हो :—

(क) “सीधी भर्ती” से शामिल है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में ले विदेशी या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में वहले से लगे किसी पदधारी के स्वामतात्त्व से धन्यवा की गई हो,

(ख) “नियोजक” से शामिल है, नियोजक चक्रवर्ती विभाग, हरियाणा,

(ग) “सरकार” से शामिल है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार,

(घ) “संसद” से शामिल है,—

(i) हरियाणा राज्य में लानू विधि द्वारा स्वाप्त कोई संसदा, या

(ii) इन नियमों के प्रयोगने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संसदा,

(इ) “नाम्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से शामिल है,—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र (हिस्तीकार) या प्रशासन-पत्र की दशा में पंजाब, गुजरात द्वारा विश्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोगन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(७) "सेवा" से अभिप्राय है, हासिलाचा चक्रवर्ती विभाग (पुण्य-स) सेवा।

भाग-II—सेवा में जरूरी

पदों की संख्या
दरकार स्वरूप।

सेवा में नियुक्त
उम्मीदवारों की
राष्ट्रीयता,
अधिकार संबंधी
कृतिज्ञ।

3. सेवा में इन नियमों के परिवर्णन "क" में दर्शाए गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में बढ़िया या कमी करने या विभिन्न पदनामों प्रीतर वेतनमात्रों वाले नहीं पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अनुमित्त धार्याकार पर प्रभाव नहीं जानेयी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का नायायी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी स्तर से बनने के आगत से यात्रा हो, या

(ङ) भारतीय सून का नायित, जो पासिलान, बर्मा, और लंका या कोनिंग, पूर्वोंदा द्वारा तंतानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व ठालानीका जंबोवाट) जीवित, भालवी, जायरे यों इण्डोनिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवालित होकर भारत में स्थायी रूप से बनने के आगत से यात्रा हो :

परन्तु प्रवर्ग (घ), (ङ), (घ) या (ङ) में सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पालता का प्रयोग-पक्ष दायर कहा जाएगा, जो किसी अन्य भर्ती प्राप्तिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रयोग किया जाए रखता है जिसके लिये इसे सरकार द्वारा प्राप्तिकरण दायरी किये जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में पालता का प्रयोग-पक्ष दायर कहा जाएगा, जो किसी अन्य भर्ती प्राप्तिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रयोग किया जाए रखता है जिसके लिये इसे सरकार द्वारा प्राप्तिकरण दायरी किये जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान ईशानिक प्राधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र घोर हो ऐसे अन्य निम्नोकार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भाली परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अतिम लिखि से ठीक पहले जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पहले सालहूँ वर्ष से कम आयु का या वैतीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

आयु ।

6. सेवा में किसी पर नियुक्ति की निवेशक द्वारा की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब अहंताएं ।
इव वि ११ सं ईः ४८, की रेखा में, इन नियमों के परिणाम 'वा' के खाला-३ में विनियिष्ट तथा
सं ईः ५८ से हन्ता की दशा में पूर्वोक्त परिणाम के खाला-५ में विनियिष्ट
अहंताएं तथा अनुभव न रखता हो :

8. कोई भी अवित्,—

निरहंताएं ।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर नी हो, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर नी हो, या सेवा में किसी पद नियुक्ति का ग्राहन नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जावे कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर राज्य रक्षण विधि के अधीन रहे तथा विवाह अनुच्छेद है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से फ़ूट दे सकती है।

9. सेवादारों तथा चौकोदारों के पदों पर सेवा में भर्ती निम्नलिखित दंग से की जायेगी— भर्ती का दंग ।

(i) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत, और

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अपने कर्मचारियों में से स्वानांतरण या प्रतिनियुक्त द्वारा 20 प्रतिशत ।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो सेवा में जब कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है तो नियुक्ति प्राप्ति कारी नियुक्ति करेगा कि ऐसी रिक्ति को किस रीति में भरा जाए।

परिवेशा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति द्यवित, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो वह वर्ष के इच्छित के लिये और यदि अन्यथा नियुक्ति किया गया हो तो एक वर्ष तक की अवधि के लिये परिवेशा पर रहेगा :—

परन्तु —

(क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् घटनापूर्वक पद पर प्रतिनियुक्ति पर वर्तीत की गई कोई अवधि परिवेशा की प्रवधि में गिरी जाएगी,

(ख) स्थानान्तर द्वारा किसी नियुक्ति की बदा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति में पहले समकक्ष पद पर वार्षीय की कोई अवधि, नियुक्ति प्राप्तिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियन्त परिवेशा अवधि की ओर गत्ते दी जा सकती है, और

(ग) स्थानान्तर नियुक्ति की कोई अवधि, परिवेशा पर वर्तीत की गई अवधि के स्वरूप में गिरी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने एसे स्थानान्तर कर्त्ता में कार्य किया है, परिवेशा की विहित वार्षीय के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्वाक्षी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पूर्ण किये जाने का हक्कार होता।

(2) यदि नियुक्ति प्राप्तिकारी की राय में परिवेशा की प्रवधि के दोनों किसी भी कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह :—

(क) यदि उसके व्यक्ति की भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो उसे उसकी वेतनाएँ न प्रदान कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति की भर्ती से अन्यथा नियुक्ति किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्ण पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बंध में किसी ऐसी घटना रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्ण नियुक्ति के निवधन और उसे अनुजात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवेशा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राप्तिकारी :—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) एसे व्यक्ति को, यदि वह उसकी विषित एवं नियुक्ति किया गया हो, उसकी नियुक्ति की दिवि से पूर्ण हो रहता है, या

(ii) ऐसे अधिकारी को, यदि वह स्थायी रिवित पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिवित होने की तिथि से पूछ कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिवित न हो, तो प्रोप्रिएटर कर सकता है कि उन्हें अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(iv) यदि उसका कार्य या आवरण उसकी राव में संतोषजनक न रहा हो तो :—

(i) यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया हो तो उसके पूर्व पद पर प्रतिबंधित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी घट्टी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवारण तथा उसे अनुचान करे, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो नह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर बार सकता या :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, आमिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लक्षातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : उपेक्षा ।

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संघर्ष हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संघर्ष के लिये अलग निश्चित की जायेगी :

एरन्तु यह आंशिक कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित् योग्यता कम जैसी भी स्थिति हो, नियुक्ति नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि की नियुक्ति दो या दो ते अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्ननिवित् स्वरूप से निश्चित् की जायेगी :—

(a) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(b) स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिनसे वे स्थानान्तरित किए गये थे, और

(c) स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता बेतन के अनुसार निश्चित् की जायेगी, अधिकाल ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उन्नतर दर पर बेतन के रहा या और यदि मिलने वाले बेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आप में बड़ा सदस्य छोटे समस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का
दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई उद्देश, नियुक्ति जारीकरी द्वारा हस्ताना राज्य में
उपकार उपके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आवेदन दिये जाने पर ऐसा करने
के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये नियन्त्रिता के ग्रन्तीन में प्रतिनियुक्त
किया जा सकता है :—

(i) कोई कामनी, संगम या अधिकृत नियाव, जहे वह नियमित हो या नहीं,
जिसका पूर्ण या प्रधिकार स्वामित्व या नियंत्रण इत्या सरकार के पास है,
हस्ताना राज्य के भीतर नगरनिधन, स्थानीय प्राधिकरण या विधायिका एवं
या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कामनी, संगम या अधिकृतिकाय, जहे वह
नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या प्रधिकार स्वामित्व या नियंत्रण
केन्द्रीय सरकार के पास है; प्रथम

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, प्रतराष्ट्रीय संघठन, सरावल विकाय, वित्तका
नियंत्रण सरकार के पास न हो कोई यैर-तरकारी विकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहभागीति के बिना उपर (ii) तथा उपर
(iii) में नियंत्रण केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संघठन या विकाय में सेवा
करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

बेतन, छूटटी,
पैशन तथा अन्य
मामले ।

13. बेतन, छूटटी, पैशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में
साठ रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा
नियंत्रित होंगे जो सज्जन प्राधिकारी द्वारा भारत के सर्विचारन के ग्रन्तीन प्रथमा राज्य-विधान
मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस तुम्हें तथा किसी वित्त के ग्रन्तीन अपनाएँ या बनाएँ गए हों
अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन,
प्राप्तिकारी तथा
आपौर्व ।

14. (1) अनुशासन, जारीकरी तथा कर्त्तव्यों से सम्बंधित मामलों में सेवा के
सदस्य समय-समय पर उसी संस्थानीय हस्ताना विकाय-सेवा (दण्ड तथा शोषण) नियम,
1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी जारीकरी का स्वरूप, जो जगह जा सकती है, ऐसी जारीकरी जगहों के
लिये सज्जन प्राधिकारी तथा ग्रन्तीन प्राधिकारी, भारत के सर्विचारन के अनुच्छेद 309 के
ग्रन्तीन बनाई गई किसी वित्त या नियमों के डारम्बों के पार्श्व रहें दूसे वे होंगे जो इन नियमों के
परिणाम "व" में नियंत्रण है ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के बाण्ड (ग) तथा बाण्ड (घ) के अधीन सादेज करने के लिये तज्जन प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिविष्ट 'व' में बताया गया हो।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या आधारण सादेज द्वारा एसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्वापित भारत के संविधान के प्रति राजनिधा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिधा की शपथ।

17. जहाँ सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपर्युक्त में दीज देना आवश्यक या चाहित हो, वहाँ वह कारण लिख कर सादेज द्वारा व्यनियोग के किसी बर्ग या प्रबर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। दीज देने की अपेक्षा।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति सादेज में विशेष नियंत्रण तथा याते लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है। विशेष उपर्युक्त।

19. इन नियमों में भी यही कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सादेशों के अनुसार अनुसूचित जालियों, पिछड़े बर्ग, भूतपूर्व संलिङ्गों, नारीरिक हण से विकलांग व्यक्तियों प्रबन्ध किसी अन्य बर्ग या प्रबर्ग के व्यक्तियों को दिये जाने के लिये अपेक्षित घारकालों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। घारकाल।

परन्तु इस प्रकार किये गये घारकालों की कुल प्रतिशतता किसी भी नमय पकाल प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. पंजाब राज्य (चतुर्वेदी) सेवा नियम, 1963, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई सादेज या की यही कोई कार्यवाही इन नियमों के प्रनुक्त उपर्युक्तों के प्रठीन किया गया प्रबन्ध की यही कार्यवाही समझी जाएगी। निरसित तथा व्यवृत्ति।

四百

(शृंखला नियम ३)

[दस्तावेज़ 14(1)]

क्रम संख्या	प्रधानमंत्री	निपुण विधिविभाग	सारिंचन का समय	प्राप्ति लक्षणों के लिए समर्थन के प्राप्तिकारी	प्राप्ति लक्षणों के लिए समर्थन के प्राप्तिकारी	हितीय रूप सारिंचन समर्थन के प्राप्तिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	लेखादार	निवेदक	दोहरी घोटालियों—	निवेदक	किलापुक्त राजव्यवस्था	—
2.	बौकेदार	(क) वैयक्तिक फारिस (फाचरण दर्दी) पर ग्रहि रखने वाले जोगाचरी;	(क) वैयक्तिक फारिस (फाचरण दर्दी) पर ग्रहि रखने वाले जोगाचरी;	(क) वैयक्तिक फारिस (फाचरण दर्दी) पर ग्रहि रखने वाले जोगाचरी;	(क) वैयक्तिक फारिस (फाचरण दर्दी) पर ग्रहि रखने वाले जोगाचरी;	(क) वैयक्तिक फारिस (फाचरण दर्दी) पर ग्रहि रखने वाले जोगाचरी;

(म) उपेक्षा पा लांडों के उल्लंघन द्वारा कोईष नरकार या राज्य शक्तार को पा लेती लक्षणी रूप संभाव द्वारा अधिक निकाय, वाहू वह निरामित हो या नहीं विचार पूर्ण या भविकांग स्वाधिकार या नियंत्रण शक्तार के पास है या संसद या राज्य निधान गवर्नर के

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

किया जवा था । उस पर कहाँली सखनी और
 उसकी ज्योत्तरा तथा उस प्रेष, पर या सेवा पर
 बेतान के बारे में गहरी सखनी शारिरिक निवेदनों
 के साथ या उनके लिया होगा ।

- (अ) सामिकाय सेवा निष्पत्ति;
- (ब) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के बाहर
 आये विचोक्त के लिए निरहसी नहीं हुएगी ;
- (स) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन चारी
 विचोक्त के लिए साकान्तर नियुक्त होगी ।

परिवार "ब"

[दोषग्रन्थ 14(2)]

क्रम संख्या	पदवी	शावेश का। दबाव	शावेश करने के लिए उपकार प्राप्तिकारी		दिनीय समा विज्ञान भूमिका प्राप्तिकारी
			4	5	
1	2	3	5	6	
1.	सेवाधार	(1) नेचन को नियन्त्रित करने वाले निम्नों के जड़ों उल्लंघन विषय प्रतिरक्ष देखन की याइ में जन्मी करना गा रोकना ।	निवेशक विलयकर्ता राजनन हरियाणा	निवेशक विलयकर्ता राजनन हरियाणा	सफार
2.	वैत्तीधार	(11) सेवा के किसी सदस्य नी उचके क्षमिकिता के लिए नियन्त्रित धारा के होने वे प्रभावा नियन्त्रित की रखाइ ।			

ए० वैत्ती,
 समिति, हरियाणा सरकार,
 चकवन्दी विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CONSOLIDATION DEPARTMENT

Notification

The 16th November, 1990.

No. G.S.R. 74/Coast./Art. 309/90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Consolidation Department (Group D) Service, namely :—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Consolidation Department (Group D) Service Rules, 1990. Short title

2. In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(b) "Director" means the Director, Consolidation, Haryana;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(e) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or in the case of degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca university; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;

(f) "Service" means the Haryana Consolidation Department (Group D) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number
and
Character
of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile
and
Character
of candi-
dates
appointed
to the
Service.

4. (i) No person shall be appointed to the Service unless he is—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than sixteen years or more than thirty-five years of age, on or before the 1st day of January, next preceding the last date of submission of applications to the appointing authority.

Appointing
authority.

6. Appointment to the posts in the service shall be made by the Director.

7. No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Qualifications.

8. No person,—

Disqualifications.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the service to the posts of peons and chowkidars shall be made,—

Method of recruitment.

- (i) 80 per cent by direct recruitment; and
- (ii) 20 per cent by transfer or deputation from Group D already in the service of the State Government or the Government of India.

(2) Unless otherwise provided, whenever any vacancy occurs or is about to occur the appointing authority shall determine the manner in which such vacancy shall be filled in.

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Probation.

Provided that—

- (a) any period, after such appointment spent on deputation on a corresponding post, shall count toward the period of probation;

(b) any period of work in equivalent rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the probation is not satisfactory it may,—

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment;

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit if appointed otherwise; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in Service the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the orders of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows: —

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer;
- (b) in the case of members appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were transferred; and
- (c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the order number shall be senior to the younger member.

12. (1) Every member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability to serve.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under: —

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation, or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body.

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

**Pay, Leave
Pension
and other
matters.**

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the numbers of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

**Discipline
Penalties
and appeals.**

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

**Vacci-
nation.**

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

**Oath of
allegiance.**

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so direct by special or general order.

**Power of
relaxation.**

16. Every member of the Service, unless he has already done so shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

**Special
provisions.**

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**Repeal
and
saving.**

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

**Reserva-
tions.**

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent at any time.

20. The Punjab State (Class IV) Service Rules, 1963 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Peon	38	60	98	Rs. 750—12—870—EB—14—940
2	Chowkidar	—	3	3	Rs. 750—12—870—EB—14—940

VENKAT D/101

APPENDIX B
 (See Rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Peon	Middle Pass with Hindi	Middle Pass with Hindi
2	Chowkidar	Middle Pass with Hindi	Middle Pass with Hindi

APPENDIX C
 [See Rule 14(1)]

Serial No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Peon	Director	Minor penalties			
2	Chowkidar		(i) Warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) Censure; (iii) Withholding of promotion; (iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association of a body of individuals whether incorporated or not, which is woolly or substan-	Director Financial Commissioner Revenue, Haryana	Government	

HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 27, 1990
(AGHN. 6, 1912 SAKA)

1	2	3	4	5	6	7

cially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or the Legislature of a State ; and

(v) Withholding of increments or pay;

Major Penalties.

(vi) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(vii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without

1	2	3	4	5	6	7

1 further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

2 (viii) Compulsory retirement ;

3 (ix) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government.

4 (x) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

5 Director Financial Commissioner, Government, Revenue, Haryana

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Peon	{ (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension,		Director, Financial Commissioner, Revenue, Haryana	Government
2	Chowkidar	{ (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Consolidation Department.